मैनुअल संख्या–01

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

प्रस्तावना – देश और समाज की संस्कृति की प्रमुख सम्वाहक भाषा होती है। भाषा मात्र विचारों की सम्वाहक नहीं होती अपितु देश और समाज के ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक विचारों, आन्दोलनों सहित्य की विभिन्न धाराओं की भी संरक्षिका है, उत्तराखण्ड में वैदिक काल में संस्कृत का प्रचलन था, जिसके पुष्ठ प्रमाण पुराणों, उपनिषदों, कालिदास के साहित्य आदि में उपलब्ध हैं। शौरसेनी, उपभ्रंश से उदभव होने वाली उत्तराखण्ड की दोनों प्रमुख बोलियों गढ़वाली व कुमाँऊनी तत्कालीन राजाओं की राजभाषा रही है। कालान्तर में सम्पूर्ण देश के साथ–साथ इस राज्य ने भी राष्ट्रीय आन्दोलनों, सुधार कार्यों एवं समाचार पत्रों के माध्यम के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया।

राज्य की बोलियां जहां आज भी सम्पर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही है, वहीं राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। हर्ष का विषय है कि संस्कृत भाषा को इस राज्य ने प्रथम बार द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है।

उत्तराखण्ड पौराणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं पर्यटन की भूमि है। यहां पर भारतीय भाषा को बोलने वाले अधिसंख्य लोग निवास करते हैं। राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड में प्रचलित भाषाओं के संरक्षण, प्रचार–प्रसार के लिए निम्नलिखित संस्थान एवं अकादमियों की स्थापना की है :–

क्र.सं.	संस्थान / अकादमी का नाम	गठन का वर्ष
01	उत्तराखण्ड भाषा संस्थान	10 फरवरी, 2010
02	डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल हिन्दी अकादमी उत्तराखण्ड	11 फरवरी, 2010
03	उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी	22 जुलाई, 2013
04	उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी	22 जुलाई, 2013
05	उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी	10 अगस्त, 2016

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून

स्थापना एवं परिचय

भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक : 10 फरवरी, 2010, संख्या :33/xxxix–भा0अनु0–20(सा)/2009–''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–345 और 351 तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों के विकास एवं सम्वर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड भाषा संस्थान नियमावली, 2009 के अन्तर्गत **''उत्तराखण्ड भाषा संस्थान''** की स्थापना की गई। यह संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत दिनांक 24 फरवरी, 2010 को पंजीकृत है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के उद्देश्य

1. उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, उत्तराखण्ड शासन की कार्यदायी संस्था के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में कार्य करेगा और भाषा सम्बन्धी विकास योजनाओं एवं किया–कलापों का संचालन करेगा। आवश्यकतानुसार यह संस्थान उत्तराखण्ड शासन के लिए राज्य हित में भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों व संघीय राज्यों में भी भाषा सम्बन्धी कार्य सम्पादित करेगा।

2. मुख्यतः इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और चिकित्सा से सम्बन्धित हिन्दी शब्दकोष पाठ्य–पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के अतिरिक्त तकनीकी, प्रशासनिक व प्रबंधकीय हिन्दी शब्दकोष एवं विधिक तथा अन्य आधुनिक विषयों से सम्बन्धित पाठ्य–पुस्तकों एवं शोध पत्रिकाओं/निर्णय पत्रिकाओं हिन्दी में लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन। साहित्यिक/शोध पत्रिका का प्रकाशन करना।

3. इस संस्थान में राज्य की क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के साहित्य का प्रकाशन एवं प्रोत्साहन का कार्य किया जायेगा। क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार एवं संरक्षण की व्यवस्था करना तथा उनके साहित्य को प्रोत्साहन देना।

4. राज्य के साहित्यकारों के दुर्लभ साहित्य, अप्राप्त साहित्यक, उत्कृष्ट और उपयोगी साहित्य शोध ग्रन्थों का पुनः प्रकाशन किया जाना। अप्रकाशित पाण्डुलिपियों का प्रकाशन करना अथवा प्रकाशन में सहायता देना।

5. उत्तराखण्ड राज्य की ऐसी संस्थाएं जो प्राचीन भारतीय भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहित करने की निःस्वार्थ सेवा में लगी हों, उन्हें हिन्दी भाषा के अनुवाद/प्रकाशन में अनुदान देकर या उनके साहित्य को क्रय एवं विपणन कर सहायता प्रदान करना।

6. राज्य सरकार की भाषा प्रोत्साहन नीति के अनुसरण में प्रचार–प्रसार के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करना और हिन्दी टंकण और आशुलिपि की प्रतियोगिताएं आयोजित करना तथा सफल प्रतियोगियों के लिए समुचित पुरस्कार की व्यवस्था करना।

7. उत्तराखण्ड के विभिन्न अंचलों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समय–समय पर भारतीय भाषाओं एवं साहित्य के सम्मेलनों, समारोहों एवं गोष्ठियों को आयोजित करना।

8. यह संस्थान विशेष रुप से अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन केन्द्र रुप में कार्य करेगा। भाषा विशेष के छात्रों को संस्कृत, हिन्दी एवं अन्य विदेशी भाषाओं के व्याकरण, साहित्य–साहित्यिक कालविशेष, साहित्य विशेष, ग्रन्थविशेष के अध्ययन की सुविधा प्रदान करेगा। संस्थान छात्रों के अध्ययन के लिए पृथक्–पृथक् अध्ययन केन्द्र भी स्थापित कर सकता है। अध्ययन की अवधि एक माह से लेकर तीन वर्ष तक की होगी और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त विश्व के विभिन्न देशों के छात्र वर्तमान में संस्कृत एवं हिन्दी के अध्ययन की ओर विशेष रुचि ले रहे हैं। अतः संस्कृत और हिन्दी के अध्ययन केन्द्र के रुप में अन्तर्राष्ट्रीय स्वरुप को प्राप्त करने का प्रयत्न करना।

9. भारत एवं विश्व के विभिन्न देशों, प्रदेशों के साहित्यकारों की विभिन्न देशों, प्रदेशों में सद्भावना यात्रा आयोजित करना।

10. उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के साहित्य एवं कृत्यों को सुरक्षित करना एवं इन भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित, समादृत और पुरस्कृत करना तथा गोष्ठियां, सम्मेलन व समारोह आयोजित करना।

11. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं साहित्य की प्रदर्शनियां आयोजित करना।

12. दुर्लभ पुस्तकों को निःशुल्क, दान अथवा मूल्य देकर प्राप्त करना, शोधार्थियों को दुर्लभ पुस्तकों की छायाप्रतियाँ मूल्य लेकर उपलब्ध कराना एवं दुर्लभ पुस्तकों की पुनःप्रकाशन की व्यवस्था करना।

13. राज्य एवं देश की विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों का तुलनात्मक अध्ययन करना, उनकी कार्य विशेष एवं स्थान विशेष की समानताओं/असमानताओं के आधार पर पाण्डुलिपियों एवं ताम्रपत्रों, भोजपत्रों आदि का अन्य भाषाओं में अनुवाद करना।

14. अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भाषा एवं बोली का प्रचार–प्रसार तथा अध्ययन/अध्यापन।

15. क्षेत्रीय भाषा एवं बोली का मानकीकरण करवाना।

16. क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के शब्दकोष निर्माण एवं प्रकाशन करवाना।

17. क्षेत्रीय भाषा एवं बोली में रचित साहित्य भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की व्यवस्था करना।

18. क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के शिक्षण के लिए सरल पाठ्यक्रम तैयार करना एवं शिक्षण की व्यवस्था करना।

19. विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय भाषा एवं बाली के साहित्य का विश्वस्तरीय पुस्तकालय का निर्माण करना।

20. क्षेत्रीय भाषा एवं बाली के अलिखित साहित्य का यांत्रिक विधियों द्वारा संकलन करना एवं उसे प्रचारित करना।

21. ऐसे सभी अन्य प्रासंगिक कार्य करना जिनसे उपरिनिर्दिष्ट उद्देश्यों तथा कार्यकलापों को गतिशील करने में सहायता प्राप्त हो।

डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल हिन्दी अकादमी उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिचय एवं स्थापना

भाषा अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक : 11 फरवरी, 2010, संख्या : 35/xxxix-2010–भा0अनु0–21(सा)/2009–टी0सी0– भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा हिन्दी है। उत्तराखण्ड राज्य ने भी हिन्दी को शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है। हिन्दी भाषा के विकास एवं सम्बर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी नियमावली, 2009 के अन्तर्गत **"उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी"** की स्थापना की गई।

उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी भाषा विभाग को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई0 के अधीन सम्यक् रूप से दिनांक : 24 फरवरी, 2010 को रजिस्ट्रीकृत किया गया। भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–400/xxxix–45/2010 दिनांक 4 अक्टूबर 2010 के द्वारा उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी का नाम **"डॉ0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल हिन्दी अकादमी उत्तराखण्ड"** रखा गया है।

डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल हिन्दी अकादमी उत्तराखण्ड के उद्देश्य

1. हिन्दी के संवर्द्धन के लिए उत्तराखण्ड के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की पाठय पुस्तकों प्राविधिक तथा अन्य सभी विषयों पर अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करना व विभिन्न भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद करना व कराना।

2. विद्यालय, विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तको, प्राविधिक तथा अन्य सभी विषयों से सम्बंधित पुस्तकों, शब्दकोषों इत्यादि को मूल रूप से हिन्दी में तैयार करना या कराना।

3. विभिन्न विषयों पर शोधपत्र, निबंध तथा पत्रिकाएं मूल रूप में हिन्दी में तैयार करना या कराना।

4. उपयुक्त पुस्तकों, शोधपत्रों, इत्यादि के मुद्रण की व्यवस्था करना उनके प्रकाशन तथा विपणन की व्यवस्था करना।

5. हिन्दी के विश्वविद्यालय स्तरीय पाठयपुस्तकों को लेखन के लिए शिक्षा के आधुनिक तकनीकी रचनाकारों एवं उत्कृष्ट विद्वानों, विशेषज्ञों तथा अनुभवी लेखकों का चयन करना और प्रोत्साहन देना।

6. लेखकों या प्रकाशकों द्वारा निजी रूप से तैयार करायी गई विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के अनुमोदन के संबंध में अधिकारियों को उपयुक्त परामर्श देना जिससे लेखकों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

7. हिन्दी वाङ्मय के शब्दकोष के विस्तार के लिए विश्व के तकनीकी विद्वानों की कार्यशालाएं आयोजित कर हिन्दी तकनीकी शब्दों को व्यवहार में लाना तथा अभियान्त्रिकों से हिन्दी के साफ्टवेयर तैयार कराना।

8. हिन्दी वाङ्मय की समृद्धि के लिए विश्व साहित्य से विभिन्न उच्च स्तरीय ग्रन्थों तथा मानक ग्रन्थों की मौलिक रचनाओं का संकलन तथा हिन्दी में अनुवाद करना।

9. संस्थान द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्राचीन, अर्वाचीन रचित परन्तु अप्रकाशित ग्रन्थों का प्रकाशन कराना।

10. साहित्य एवं ग्रन्थों की खोज कर उसे प्रकाशित कर ग्रन्थों की बिक्री की व्यवस्था करना।

11. हिन्दी भाषा में लिखित प्राचीन दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संकलन, संरक्षण एवं प्रकाशन करना।

12. हिन्दी भाषा व साहित्य के प्रचार–प्रसार के लिए ग्रन्थों की प्रदर्शनियां आयोजित करना।

13. हिन्दी में रचित मौलक ग्रन्थों तथा अन्य भाषा से हिन्दी में अनुदित उच्चकोटि की साहित्यिक कृत्यों को पुरस्कार प्रदान करना।

14. हिन्दी लेखकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

15. हिन्दी पत्रकारिता के विकास के लिए कार्य करना।

16. हिन्दी की उच्चकोटि की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

17. हिन्दी साहित्य की उत्कृष्ट पुस्तकों का चयन, क्रय–विक्रय करना।

18. विभिन्न शासकीय अर्द्धशासकीय तथा अशासकीय विभागों/संस्थाओं को अपने विभागीय कार्य हिन्दी भाषा में करने व कराने हेतु प्रेरित करना तथा उनसे मासिक रूप से प्रगति सूचना प्राप्त करना।

19. जनसामान्य में हिन्दी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह, विभिन्न प्रतियोगिताएं, शोभा यात्राओं आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना।

20. केन्द्र सरकार की हिन्दी भाषा संबंधी योजनाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना एवं तद्नुसार कार्य करना।

21. ऐसे सभी कार्य करना, जिनसे हिन्दी भाषा व साहित्य का विकास हो तथा ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्यों के आगे बढने की सम्भावना हो।

उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, देहरादून

परिचय एवं स्थापना

भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या :616/xxxix 09/(सा0)/2013, दिनांक : 22 जुलाई, 2013 द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 345 और 351 तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के साथ–साथ भारतीय भाषाओं के विकास और उसके सम्बर्द्धन हेतु भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन उर्दू अकादमी की स्थापना के उद्देश्य एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी नियमावली, 2013 के अन्तर्गत **"उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी"** की स्थापना की गई।

उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी के उद्देश्य

1. उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, उत्तराखण्ड शासन की कार्यदायी संस्था के रूप सम्पूर्ण प्रदेश में कार्य करेगी और उर्दू भाषा सम्बन्धी योजनाओं एवं क्रियाकलापों का संचालन करेगी।
2. इस अकादमी में उर्दू भाषा/बोली के साहित्य का प्रकाशन एवं प्रोत्साहन का कार्य किया जाएगा। उर्दू बोली/भाषा के शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार एवं संरक्षण की व्यवस्था करना, उसके साहित्य का प्रोत्साहन देना।
3. अकादमी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्टर्ड एक निकाय होगी, उसकी स्थाई सील होगी और उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी के नाम से संस्थान का संचालन किया जायेगा। अकादमी के सभी कार्यकलाप सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के प्राविधानों के अधीन रहते हुए शासन द्वारा स्थापित नियमों/विनियमों के अनुसार किए जायेंगें।
4. अकादमी किसी भी राजनैतिक अथवा साम्प्रदायिक संगठन से सम्बद्ध नही रहेगी और न ही किसी असामाजिक अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेगी।
5. भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों को उर्दू भाषा के मौलिक, साहित्यिक एंव शैक्षिक रचनाओं में प्रोत्साहित एवं प्रकाशित करना, बच्चों के लिए भी पुस्तकों का प्रकाशन करना तथा उच्च स्तर के उर्दू में हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता शासन द्वारा या शासन की अनुमति से स्थापित नियमों/विनियमों के अन्तर्गत प्रदान करना।
6. भारत में उर्दू भाषा, संस्कृति तथा साहित्य व कला के विभिन्न क्षेत्रों मे राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता सम्मेलनों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उत्तराखण्ड की भाषाई संस्कृति के अनिवार्य अंग के रूप में उर्दू भाषा एंव साहित्य का परीक्षण एवं अभिवृद्धि करना।
7. राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य से उर्दू भाषा तथा साहित्य को बढ़ावा देने हेतु अन्य ठोस कार्य करना।
8. राज्य के साहित्यकारों के दुर्लभ साहित्य, अप्राप्त साहित्यिक, उत्कृष्ठ और उपयोगी साहित्य, शोध ग्रन्थ का पुनः प्रकाशन किया जाना। अप्रकाशित पाण्डुलिपियों का प्रकाशन करना अथवा प्रकाशन में सहयोग करना।
9. दुर्लभ पुस्तकों को निःशुल्क दान अथवा मूल्य देकर प्राप्त करना, शोधर्थियों को दुर्लभ पुस्ताकों की छाया प्रतियां मूल्य देकर उपलब्ध कराना एवं दुर्लभ पुस्तकों की पुनःप्रकाशन की व्यवस्था करना।

10. प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना तथा स्मृति चिन्ह, पुस्तकें आदि प्रदान करना, उसे शासन या शासन की अनुमति से स्थापित विनियमों से निश्चित करें।

11. राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत स्वयं सेवी उर्दू साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं संस्थाओं से वैचारिक आदान–प्रदान करना तथा उनकी उर्दू भाषा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक योजनाओं के अनुसार सहायता करना। अनुवाद/प्रकाशन में अनुदान या विपणन में सहायता प्रदान करना।

12. साहित्यकारों को स्थापित पुरस्कार नियमावली के प्राविधान के अन्तर्गत सम्मानित और पुरस्कृत करना।

13. उर्दू भाषा एवं बोली का मानकीकरण करना।

14. उर्दू भाषा एवं बोली के शब्द कोश निर्माण एवं प्रकाशन करना।

15. उर्दू भाषा में रचित साहित्य के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की व्यवस्था करना।

16. उर्दू भाषा के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना तथा उर्दू के बुजुर्गों एवं जरूरतमंद लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

17. उर्दू भाषा के अध्येयताओं को उच्च अध्ययन के लिये अकादमी द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट समय के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना। इन नियमों के अधीन प्रकाशित सामग्री की बिक्री की व्यवस्था करना।

18. अकादमी अथवा उसकी किसी सम्पत्ति का उपयोग राजनैतिक अथवा राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा।

19. अकादमी के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसके हितों की पूर्ति हेतु केन्द्र अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्तियों से आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति, अनुदान, संविदा, अनुज्ञप्तियों, अधिकार, रियायत, विशेषाधिकार या उन्मुक्तियाँ प्राप्त करना, जिन्हें अकादमी द्वारा वांछनीय समझा जायें, प्राप्त करने के केन्द्र अथवा राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के साथ व्यवस्था करना और किसी भी ऐसी व्यवस्था का प्रयोग तथा अनुपालन करना, इस संबंध में शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

20. किसी भी प्रकार के दान आदि को स्वीकार करना तथा ऐसे दानों को लेखाबद्ध करना तथा शासन के तत्काल संज्ञान में लाना।

21. कोई ऐसे अन्य कार्य करना जो अकादमी के उपरोक्त सभी उद्देश्यों या किसी उद्देश्य की पूर्ति या उनसे सम्बन्धित प्रासंगिक कार्यों के लिए उपयोगी तथा आवश्यक हों।

22. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिन कार्यों के लिए नियम/विनियम/प्रक्रियायें स्थापित नहीं है, उसके लिए नियम/विनियमों की स्थापना शासन स्तर पर कराना।

उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी, देहरादून

परिचय एवं स्थापना

भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या :618/xxxix/08(सा0)/2013, दिनांक : 22 जुलाई, 2013 द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 345 और 351 तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के साथ-साथ भारतीय भाषाओं के विकास और उसके सम्बर्द्धन हेतु भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन पंजाबी अकादमी की स्थापना के उद्देश्य एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी नियमावली, 2013 के अन्तर्गत **"उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी"** की स्थापना की गई।

उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी के उद्देश्य

1. उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी, उत्तराखण्ड शासन की कार्यदायी संस्था के रूप सम्पूर्ण प्रदेश में कार्य करेगी और पंजाबी भाषा सम्बन्धी योजनाओं एवं क्रियाकलापों का संचालन करेगी।
2. इस अकादमी में पंजाबी भाषा/बोली के साहित्य का प्रकाशन एवं प्रोत्साहन का कार्य किया जाएगा। पंजाबी बोली/भाषा के शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार एवं संरक्षण की व्यवस्था करना, उसके साहित्य का प्रोत्साहन देना।
3. अकादमी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्टर्ड एक निकाय होगी, उसकी स्थाई सील होगी और उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी के नाम से संस्थान का संचालन किया जायेगा या संस्थान चल सकता है। अकादमी के सभी कार्यकलाप सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के प्राविधानों के अधीन रहते हुए शासन द्वारा स्थापित नियमों/विनियमों के अनुसार किए जायेंगे।
4. अकादमी किसी भी राजनैतिक अथवा साम्प्रदायिक संगठन से सम्बद्ध नहीं रहेगी और न ही किसी असामाजिक अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेगी।
5. भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों को पंजाबी भाषा के मौलिक, साहित्यिक एंव शैक्षिक रचनाओं में प्रोत्साहित एवं प्रकाशित करना, बच्चों के लिए भी पुस्तकों का प्रकाशन करना तथा उच्च स्तर के पंजाबी में हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता शासन द्वारा या शासन की अनुमति से स्थापित नियमों/विनियमों के अन्तर्गत प्रदान करना।
6. भारत में पंजाबी भाषा, संस्कृति तथा साहित्य व कला के विभिन्न क्षेत्रों मे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता सम्मेलनों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उत्तराखण्ड की भाषाई संस्कृति के अनिवार्य अंग के रूप में पंजाबी भाषा एंव साहित्य का परीक्षण एवं अभिवृद्धि करना।
7. राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य से पंजाबी भाषा तथा साहित्य को बढ़ावा देने हेतु अन्य ठोस कार्य करना।
8. राज्य के साहित्यकारों के दुर्लभ साहित्य, अप्राप्त साहित्यिक, उत्कृष्ट और उपयोगी साहित्य, शोध ग्रन्थ का पुनः प्रकाशन किया जाना। अप्रकाशित पाण्डुलिपियों का प्रकाशन करना अथवा प्रकाशन में सहयोग करना।
9. दुर्लभ पुस्तकों को निःशुल्क दान अथवा मूल्य देकर प्राप्त करना, शोधार्थियों को दुर्लभ पुस्तकों की छाया प्रतियां मूल्य देकर उपलब्ध कराना एवं दुर्लभ पुस्तकों की पुनः प्रकाशन की व्यवस्था करना।
10. प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना तथा स्मृति चिन्ह, पुस्तकें आदि प्रदान करना, जिसे शासन या शासन की अनुमति से स्थापित विनियमों से निश्चित करें।

11. राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत स्वयं सेवी पंजाबी साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं संस्थाओं से वैचारिक आदान–प्रदान करना तथा उनकी पंजाबी भाषा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक योजनाओं के अनुसार सहायता करना। अनुवाद/प्रकाशन में अनुदान या विपणन में सहायता प्रदान करना।
12. साहित्यकारों को स्थापित पुरस्कार नियमावली के प्राविधान के अन्तर्गत सम्मानित और पुरस्कृत करना।
13. पंजाबी भाषा एंव बोली का मानकीकरण करना।
14. पंजाबी भाषा एवं बोली के शब्द कोश निर्माण एवं प्रकाशन करना।
15. पंजाबी भाषा में रचित साहित्य के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की व्यवस्था करना।
16. पंजाबी भाषा के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन मे सहायता करना तथा पंजाबी के बुजुर्गों एंव जरूरतमंद लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
17. पंजाबी भाषा के अध्येताओं को उच्च अध्ययन के लिये अकादमी द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट समय के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना। इन नियमों के अधीन प्रकाशित सामग्री की बिक्री की व्यवस्था करना।
18. अकादमी अथवा उसकी किसी सम्पत्ति का उपयोग राजनैतिक अथवा राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा।
19. अकादमी के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसके हितों की पूर्ति हेतु केन्द्र अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्तियों से आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति, अनुदान, संविदा, अनुज्ञप्तियों, अधिकार, रियायत, विशेषाधिकार या उन्मुक्तियाँ प्राप्त करना, जिन्हें अकादमी द्वारा वांछनीय समझा जाये, प्राप्त करने के केन्द्र अथवा राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के साथ व्यवस्था करना और किसी भी ऐसी व्यवस्था का प्रयोग तथा अनुपालन करना, इस संबंध में शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
20. किसी भी प्रकार के दान आदि को स्वीकार करना तथा ऐसे दानों को लेखाबद्ध करना तथा शासन के तत्काल संज्ञान में लाना।
21. कोई ऐसे अन्य कार्य करना जो अकादमी के उपरोक्त सभी उद्देश्यों या किसी उद्देश्य की पूर्ति या उनसे सम्बन्धित प्रासंगिक कार्यों के लिए उपयोगी तथा आवश्यक हों।
22. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिन कार्यों के लिए नियम/विनियम/प्रक्रियायें स्थापित नहीं है, उसके लिए नियम/विनियमों की स्थापना शासन स्तर पर कराना।

उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी

परिचय एवं स्थापना

भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की कार्यालय ज्ञाप संख्या : 407/xxxix /2016–01(सा0)/2016 दिनांक : 10 अगस्त, 2016 द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 345 और 351 तथा आठवीं अनुसूची में वर्णित भारतीय भाषाओं के साथ–साथ उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय लोक भाषाओं एवं बोलियों के विकास और उसके संवर्धन हेतु **"उत्तराखण्ड लोक भाषा भाषा व बोली अकादमी"** का गठन किया गया है।

लोकभाषा बोली का कार्य एवं कार्यक्षेत्र – लोकभाषा बोली का कार्य एवं कार्यक्षेत्र उत्तराखण्ड की प्रमुख क्षेत्रीय भाषाऐं हैं – कुमाउंनी, गढ़वाली, जौनसारी एवं रं। कुमाउंनी भाषा की उपबोलियां कुमय्यॉं, सोर्याली, अस्कोटी, सीराली, खसपर्जिया, चौगर्खिया, गंगोली, पछाई, दनपुरिया, रौ–चौभैंसी, जोहारी है। इसी प्रकार गढवाली भाषा की उपबोलियां – श्रीनगरी, बधाणी, दसौल्य, माझ कम्मैया, नागपुरिया, सलाणी, राठी, टिहरयाली, है, टिहरी जिले कि कुछ उपबोलियां है – टकनौरी–बाडाहोती, रमोल्या, जौनपुरी, रवांल्टा, बडियारगड्डी, अथवा जिस भाषा में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाय।

उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी उक्त लोकभाषाओं एवं उपबोलियों के संवर्द्धन एवं विकास के लिए कार्य करेगी। अकादमी का कार्यक्षेत्र उत्तराखण्ड का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा।

उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी का उद्देश्य

1. उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी, उत्तराखण्ड शासन की कार्यदायी संस्था के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में कार्य करेगी और लोकभाषा संबंधी योजनाओं एवं क्रिया–कलापों का संचालन करेगी।

2. इस अकादमी के अन्तर्गत क्षेत्रीय एवं आंचलिक भाषा व बोलियों के साहित्य एवं कृत्यों को सुरक्षित करना व इन भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित, समादृत और पुरस्कृत करना तथा गोष्ठिया, सम्मेलन व समारोह आयोजित करना।

3. अकादमी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक निकाय होगी, उसकी स्थाई सील होगी और उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी के नाम से संस्थान का संचालन किया जायेगा या संस्थान चल सकता है। अकादमी के सभी कार्यकलाप सोसाइटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए शासन द्वारा स्थापित नियमों/विनियमों के अनुसार किये जायेंगे।

4. अकादमी किसी भी राजनैतिक अथवा साम्प्रदायिक संगठन से सम्बद्ध नहीं रहेगी और न ही किसी असामाजिक अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेगी।

5. राज्य के साहित्यकारों के दुलर्भ साहित्य, अप्राप्त साहित्य, उत्कर्ष और उपयोगी साहित्य, शोध ग्रंथों का पुनः प्रकाशन किया जायेगा। साथ ही अप्रकाशित पाण्डुलिपियों का प्रकाशन करना अथवा प्रकाशन में सहायता प्रदान करेगा।

6. क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के साहित्य का प्रकाशन एवं प्रोत्साहन का कार्य किया जायेगा। साथ ही क्षेत्रीय बोली के शिक्षण, परीक्षण, प्रचार–प्रसार एवं संरक्षण की व्यवस्था करना तथा उनके साहित्य को प्रोत्साहन देने का कार्य करना।

7. दुलर्भ पुस्तकों को निःशुल्क, दान अथवा मूल्य देकर प्राप्त करना, शोधार्थियों को दुलर्भ पुस्तको की छायाप्रति मूल्य लेकर उपलब्ध कराना एवं दुलर्भ पुस्तकों को पुनः प्रकाशन की व्यवस्था करना।

8. प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना तथा स्मृति चिन्ह, पुस्तकें आदि प्रदान करना, जो शासन या शासन की अनुमति से स्थापित विनियमों के अनुसार किये जायेंगे।

9. राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत स्वयं सेवी लोकभाषा, साहित्य, सांस्कृतिक एवं संस्थाओं से वैचारिक आदान–प्रदान करना तथा उनकी लोकभाषा साहित्यक एवं सांस्कृतिक योजनाओं के अनुसार सहायता करना। अनुदान/प्रकाशन में अनुदान या विपणन में सहायता प्रदान करना।

10. साहित्यकारों का स्थापित पुरस्कार नियमावली के प्राविधान के अन्तर्गत सम्मानित और पुरस्कृत करना।

11. लोकभाषा व बोली का मानकीकरण करना।

12. लोकभाषा व बोली के शब्दकोशों का निर्माण करना।

13. लोकभाषा में रचित साहित्य का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की व्यवस्था करना।

14. लोकभाषा व बोली के सुयोग्य लेखों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना तथा लोक भाषा के बुजुर्गों एवं जरूरतमंद लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

15. लोकभाषाओं के अध्येताओं को उच्च अध्ययन के लिए अकादमी द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट समय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस नियम के अधीन प्रकाशित सामग्री की बिक्री की व्यवस्था करना।

16. अकादमी अथवा उसकी किसी सम्पत्ति का उपयोग राजनैतिक अथवा राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के लिए नहीं किया जायेगा।

17. अकादमी के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसके हितों की पूर्ति हेतु केन्द्र अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्तियों से आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति, अनुदान, संविदा, अनुज्ञप्तियों, अधिकार, रियायत, विशेषाधिकारी या उन्मुक्तियां प्राप्त करना, जिन्हें अकादमी द्वारा वांछनीय समझा जाये, प्राप्त करने के केन्द्र अथवा राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के साथ व्यवस्था करना और किसी भी ऐसी व्यवस्था का प्रयोग तथा अनुपालन करना, इस संबंध में शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

18. किसी भी प्रकार के दान आदि को स्वीकार करना तथा ऐसे दानों को लेखाबंद करना तथा शासन के तत्काल संज्ञान में लाना।

19. कोई ऐसे अन्य कार्य करना जो अकादमी के उपरोक्त सभी उद्देश्यों या किसी उद्देश्य की पूर्ति या उनसे संबंधित प्रासंगिक कार्यों के लिए उपयोगी तथा आवश्यक हो।

20. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिन कार्यों के लिए नियम/विनियम/प्रक्रियायें स्थापित नहीं है, उसके लिए नियम/विनियमों की स्थापना शासन स्तर पर कराना।

21. राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी की स्थापना के लिए संसाधनों के अतिरिक्त अन्य श्रोतों से भी निवेश प्राप्त करने का कार्य किया जायेगा।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018

उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की स्थापना संबंधित एवं अनुषांगिक विषयों एवं अकादमियों की व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड भाषा संस्थान विधेयक, 2018 पारित किया गया इस विधेयक को विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–182/XXXVI (3)/2018/21(1)/2018 दिनांक 12 अप्रैल, 2018 द्वारा पारित किया गया।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2018) के अध्याय–2 धारा–3 द्वारा इस अधिनियम के उददश्यों की पूर्ति हेतु भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–424/XXXIX/2020–10 (सा0)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2020 द्वारा विधिवत् अधिसूचना जारी कर लागू किया गया।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 के अध्याय–2 धारा–10 द्वारा राज्य में बोली जाने वाली विभिन्न समुदाय की भाषा एवं बोलियों के विकास एवं संवर्धन हेतु संस्थान के अन्तर्गत निम्नलिखित अकादमियों का एकीकृत किया गया है, जो संस्थान की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी –

1. उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी,
2. उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी,
3. उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी,
4. उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 के अध्याय–3 धारा–14 द्वारा संस्थान की शक्तियां, उद्देश्य और कार्य का निर्धारण इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं विनियमों द्वारा किया जायेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमों एवं विनियमों के प्रख्यापन की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है।

सलग्नक-01 (9)

उत्तराखण्ड शासन

भाषा अनुभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 फरवरी, 2010

संख्या 33/XXXIX-भा0अनु0-20(सा)/2009-''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 345 और 351 तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों के विकास एवं सम्वर्द्धन हेतु श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड भाषा संस्थान नियमावली, 2009 की निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान नियमावली, 2009

1-परिभाषाएं-

1-इस संस्थान का संक्षिप्त नाम ''उत्तराखण्ड भाषा संस्थान'' है। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड प्रदेश होगा।

2-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-

(क) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम ''उत्तराखण्ड भाषा संस्थान नियमावली 2009'' है।

(ख) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

3-संस्थान का पंजीकृत कार्यालय जनपद देहरादून में होगा।

4-विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में-

(क) ''संस्थान'' से उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अभिप्रेत है;

(ख) ''सरकार या राज्य सरकार तथा शासन'' से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;

(ग) ''अर्द्धसरकारी सदस्य'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी संगठन का प्रतिनिधि हो किन्तु जो पदेन सरकारी सदस्य न हो;

(घ) ''गैर सरकारी सदस्य'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी पदेन का सदस्य न हो;

(ङ) ''साधारण सभा'' से संस्थान की साधारण सभा अभिप्रेत है;

(च) ''अध्यक्ष'' से संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) ''उपाध्यक्ष'' से संस्थान का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) ''निदेशक'' से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है, जो संस्थान का सदस्य सचिव भी होगा, और

(झ) ''अधिनियम'' से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 अभिप्रेत है।

2—संस्थान के उद्देश्य—

(1) उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, उत्तराखण्ड शासन की कार्यदायी संस्था के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में कार्य करेगा और भाषा सम्बन्धी योजनाओं एवं क्रिया—कलापों का संचालन करेगा। आवश्यकतानुसार यह संस्थान उत्तराखण्ड शासन के लिए राज्य के हित में भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों और संघीय राज्यों में भी भाषा सम्बन्धी कार्य सम्पादित करेगा।

(2) मुख्यतः इन्जीनियरिंग, स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित हिन्दी शब्दकोष, पाठ्य—पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का तथा इनके अतिरिक्त तकनीकी प्रशासनिक प्रबन्धकीय हिन्दी शब्दकोष एवं विधिक तथा अन्य आधुनिक विषयों से सम्बंधित पाठ्य—पुस्तकों एवं पत्रिकाओं/निर्णय पत्रिकाओं का हिन्दी में लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन। साहित्यिक/शोध पत्रिका का प्रकाशन करना।

(3) इस संस्थान में राज्य की क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के साहित्य का प्रकाशन एवं प्रोत्साहन का कार्य किया जायेगा। क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार—प्रसार एवं संरक्षण की व्यवस्था करना तथा उनके साहित्य को प्रोत्साहन देना।

(4) राज्य के साहित्यकारों के दुर्लभ साहित्य, अप्राप्य साहित्यक, उत्कृष्ट और उपयोगी साहित्य, शोध ग्रन्थों का पुनः प्रकाशन किया जाना। अप्रकाशित पाण्डुलिपियों का प्रकाशन करना अथवा प्रकाशन में सहायता देना।

(5) उत्तराखण्ड राज्य की ऐसी संस्थाएं जो प्राचीन भारतीय भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहित करने की निःस्वार्थ सेवा में लगी हों, उन्हें हिन्दी भाषा में अनुवाद/प्रकाशन में अनुदान देकर या उनके साहित्य को क्रय एवं विपणन कर सहायता प्रदान करना।

(6) राज्य सरकार की भाषा प्रोत्साहन नीति के अनुसरण में प्रचार—प्रसार के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करना और हिन्दी टंकण और आशुलिपि की प्रतियोगिताएं आयोजित करना और सफल प्रतियोगियों के लिए समुचित पुरस्कार की व्यवस्था करना।

(7) उत्तराखण्ड के विभिन्न अंचलों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समय—समय पर भारतीय भाषाओं एवं साहित्य के सम्मेलनों, समारोहों एवं गोष्ठियों को आयोजित करना।

(8) यह संस्थान विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। भाषा विशेष के छात्रों को संस्कृत, हिन्दी एवं अन्य विदेशी भाषाओं के व्याकरण, साहित्य—साहित्यिक कालविशेष, साहित्य विशेष, ग्रन्थविशेष के अध्ययन की सुविधा प्रदान करेगा। संस्थान छात्रों के अध्ययन के लिए पृथक—पृथक अध्ययन केन्द्र भी स्थापित कर सकता है। अध्ययन की अवधि एक माह से लेकर तीन वर्ष तक की होगी और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त विश्व के विभिन्न देशों के छात्र वर्तमान में संस्कृत एवं हिन्दी के अध्ययन की ओर विशेष रूचि ले रहे हैं। अतः संस्कृत और हिन्दी के अध्ययन केन्द्र के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयत्न करना।

(9) भारत एवं विश्व के विभिन्न देशों, प्रदेशों के साहित्यकारों की विभिन्न देशों एवं प्रदेशों में सद्भावना यात्रा आयोजित करना।

(10) उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के साहित्य एवं कृत्यों को सुरक्षित करना एवं इन भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित, समादृत और पुरस्कृत करना तथा गोष्ठियां, सम्मेलन व समारोह आयोजित करना।

(11) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं साहित्य की प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(12) दुर्लभ पुस्तकों को निःशुल्क, दान अथवा मूल्य देकर प्राप्त करना, शोधार्थियों को दुर्लभ पुस्तकों की छाया प्रतियां मूल्य लेकर उपलब्ध कराना एवं दुर्लभ पुस्तकों की पुनःप्रकाशन की व्यवस्था करना।

(13) राज्य एवं देश की विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों का तुलनात्मक अध्ययन करना, उनकी कार्य विशेष एवं स्थान विशेष की समानताओं / असमानताओं के आधार पर पाण्डुलिपियों एवं ताम्रपत्रों, भोजपत्रों आदि का अन्य भाषाओं में अनुवाद कराना।

(14) अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / क्षेत्रीय भाषा एवं बोली का प्रचार–प्रसार तथा अध्ययन / अध्यापन।

(15) क्षेत्रीय भाषा एवं बोली का मानकीकरण करवाना।

(16) क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के शब्दकोष निर्माण एवं प्रकाशन करवाना।

(17) क्षेत्रीय भाषा एवं बोली में रचित साहित्य भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की व्यवस्था करना।

(18) क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के शिक्षण के लिए सरल पाठ्यक्रम तैयार करना एवं शिक्षण की व्यवस्था करना।

(19) विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के साहित्य का विश्वस्तरीय पुस्तकालय का निर्माण करना।

(20) क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के अलिखित साहित्य का यांत्रिक विधियों द्वारा संकलन करना एवं उसे प्रचारित करना।

(21) ऐसे सभी अन्य प्रासंगिक कार्य करना जिनसे उपरिनिर्दिष्ट उद्देश्यों तथा कार्यकलापों को गतिशील करने में सहायता प्राप्त हो।

3–संस्थान के अंग–

(क) साधारण सभा का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जिनके नाम पते और व्यवसाय निम्नांकित हैं :–

साधारण सभा

1–अध्यक्ष	मुख्यमंत्री / भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड
2–उपाध्यक्ष	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत महानुभाव
3–सदस्य	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
4–सदस्य	प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
5–सदस्य	प्रमुख सचिव / सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन
6–सदस्य	प्रमुख सचिव / सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
7–सदस्य	प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
8–सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तराखण्ड के किन्हीं दो (02) विश्वविद्यालयों के कुलपति
9–सदस्य	निदेशक / सचिव, संस्कृति विभाग
10–सदस्य	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11–सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के भाषाविद् छः (06) सदस्य

12–सदस्य	सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
13–सदस्य	सचिव, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी
14–वरिष्ठ लेखाधिकारी	उत्तराखण्ड भाषा संस्थान
15–सदस्य सचिव	निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति का गठन–

जैसा कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 2 के अधीन अपेक्षित है कि संस्थान से संबंधित कार्यों की व्यवस्था हेतु प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करने वाले व्यक्तियों के नाम पते व व्यवसाय निम्न प्रकार हैं :–

1–अध्यक्ष	मुख्यमंत्री / भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड
2–कार्यकारी अध्यक्ष	सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन
3–सदस्य	प्रमुख सचिव / सचिव,-वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन
4–सदस्य	प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
5–सदस्य	प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
6–सदस्य	उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी
7–सदस्य	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
8–सदस्य	उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित भाषाविदों में से तीन (03)
9–सदस्य	वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान
10–सदस्य सचिव	निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान।

4–सदस्यता, सदस्यों का कार्यकाल–

(1) इस संस्थान के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अर्द्धसरकारी या गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन को समाप्त करने का अधिकार समुचित रूप से सुनवाई के पश्चात् राज्य सरकार में निहित होगा।

(2) संस्थान अथवा उसकी प्रबन्धकारिणी समिति अथवा उसकी किसी भी समिति के पदेन सरकारी तथवा अर्द्ध सरकारी सदस्यों की सदस्यता उसके नियत कार्यकाल की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगी और उस पद के उत्तराधिकारी ऐसे सदस्य हो जायेंगे।

(3) साधारण सभा, प्रबन्धकारिणी समिति अथवा उसकी किसी समिति के किसी पदेन सदस्य के स्थान पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा किसी भी समय समुचित रूप से सुनवाई के पश्चात् प्रतिस्थानी को नियुक्त किया जा सकता है तथा ऐसी नियुक्ति पर अवमुक्त सदस्य के स्थान पर प्रतिस्थानी सदस्य स्थान ग्रहण करेगा।

(4) गैर सरकारी सदस्यों की दशा में उनकी सदस्यता का कार्यकाल उनकी नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगा, जो व्यक्ति किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होगा, उस संगठन द्वारा उसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिये जाने पर वह सदस्य नहीं रहेगा।

(5) संस्थान का कोई भी सदस्य, सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाय, वह त्यागपत्र दें, विकृत मस्तिष्क का हो जाये, दिवालिया घोषित कर दिया जाय अथवा नैतिक पतन सम्बन्धी दण्डापराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ हो।

(6) यदि कोई सदस्य संस्थान की सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहे तो वह संस्थान के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है, जो स्वीकृति के दिनांक से प्रभावी होगा।

(7) किसी रिक्ति में मनोनीत व्यक्ति सदस्यता के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही पदधारण करेगा।

(8) संस्थान तथा इसकी प्रबन्धकारिणी समिति अपना कार्य करती रहेगी, भले ही उसके किसी अंग में कोई रिक्ति हो और भले ही उसके किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा नाम के मनोनीत करने में कोई चूक या विलम्ब या त्रुटि हो।

5–अध्यक्ष और उपाध्यक्ष–

(1) उत्तराखण्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री, संस्थान के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(2) उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए की जायेगी। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के कृत्यों का निष्पादन करेंगे और उनके अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

(4) उपाध्यक्ष अपना लिखित त्याग–पत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं, जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

(5) उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्य सरकार द्वारा उस पद पर पुनः मनोनयन किया जायेगा।

6–निदेशक–

प्रबन्धकारिणी तथा साधारण सभा द्वारा लिये गये निर्णय के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान में एक वैतनिक निदेशक की नियुक्ति उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय महाविद्यालय के उपाचार्य/आचार्य/भाषाविद्/उच्चकोटि का विद्वान/सचिवालय सेवा का अधिकारी, जो अपर सचिव के स्तर से कम न हो, की तैनाती प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। सीधी भर्ती की नियमावली तत्समय पृथक से प्रख्यापित की जायेगी। निदेशक उपाध्यक्ष के निर्देश पर कार्य करेगा। निदेशक, संस्थान, साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा। निदेशक का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

7–निदेशक के कार्य–

निदेशक के कर्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं ऐसे सामान्य और विशेष अनुदेश जिन्हें साधारण सभा/प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विहित किया जायेगा, उनका अनुपालन अनिवार्य रूप से निदेशक द्वारा किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त निदेशक, संस्थान, भाषा विभाग उत्तराखण्ड शासन के अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करते हुए कार्य करेगा। निदेशक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(1) संस्थान के प्रशासन का सामान्य नियंत्रण,

(2) प्रबन्धकारिणी समिति और साधारण सभा की बैठकें आहूत करेगा,

(3) संस्थान की ओर से समस्त धनराशि और प्रतिभूतियां को प्राप्त करना और संस्थान के धन और अन्य सम्पत्तियों की समुचित रख–रखाव और अभिरक्षा की व्यवस्था करना।

(4) संस्थान की ओर से वचन–पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित और हस्तान्तरित करना और चेकों तथा अन्य पराक्राम्य लिखित, (निगोशिऐबिल इन्स्ट्रूमेंन्ट्स) पृष्ठांकित और परिक्रमित करेगा।

(5) निदेशक, संस्थान के दिन–प्रतिदिन के कार्यों के सामान्य संचालन, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) निदेशक, सभी जमा प्राप्तियों पर हस्ताक्षर करेगा और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्थान का खाता खोलेगा।

(7) निदेशक, संस्थान के पक्ष में सभी बन्ध–पत्रों और अनुबन्ध–पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा।

(8) संस्थान के कर्मचारियों व अधिकारियों की शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करना।

(9) संस्थान द्वारा या संस्थान के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही संस्थित करना, संचालित करना, प्रतिवाद करना या संस्थान द्वारा या संस्थान के विरुद्ध किसी दावा या मांग के भुगतान या समाधान के लिए निपटारा भी करना और समय की अनुमति देना।

(10) संस्थान के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को समस्त या कोई शक्ति, प्राधिकार और निर्देशन, जो उसमें निहित हो, को अन्तिम नियंत्रण और प्राधिकार अपने पास रखते हुए, प्रत्यायोजित करना।

(11) संस्थान और उसकी बैठकों के कार्य से सम्बन्धित समस्त अभिलेख, लेखा और पंजी का रख-रखाव।

(12) संस्थान के कार्यहित में निदेशक संस्थान के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को जिस अवधि के लिए उपयुक्त समझे, उपरिलिखित स्तम्भ (एक) से (ग्यारह) तक की शक्तियों का आंशिक अथवा पूर्ण रूप से प्रतिनिधायन कर सकते हैं।

(13) संस्थान के हित में संस्थान का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी/कर्मचारी, निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कृत्यों और दायित्वों का सम्पादन करेगा।

8–वरिष्ठ लेखाधिकारी की नियुक्ति एवं कार्य–

राज्य सरकार द्वारा वित्त एवं लेखा सेवा के एक ऐसे वरिष्ठ लेखाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो संस्थान के समुचित लेखा तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उत्तरदायी होगा। यह लेखे का वार्षिक विवरण सन्तुलन-पत्र (बैलेन्स शीट) तथा अन्य वित्त सम्बन्धी कार्य करेगा। लेखाधिकारी संस्थान के नियमों का पालन करेगा। निदेशक, प्रबन्धकारिणी समिति के व्यय संबंधी निर्देशों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे।

9–भाषा संस्थान के विभाग–

(क) प्रशासन विभाग,

(ख) प्रकाशन विभाग,

(ग) अनुसंधान विभाग,

(घ) पुस्तकालय।

(क) प्रशासन विभाग–

निदेशक के निर्देशन में यह विभाग संस्थान के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करेगा। सभी विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा एवं समस्त कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था करेगा।

(ख) प्रकाशन विभाग–

अनुसंधान विभाग द्वारा निर्मित सामग्री के प्रकाशन, संग्रहण तथा विपणन की व्यवस्था करेगा।

(ग) अनुसंधान विभाग–

संस्थान की सभी शोध योजनाओं, शोध संगोष्ठियों की व्यवस्था अनुसंधान विभाग द्वारा की जायेगी। शोध योजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए समितियों के सदस्यों का नाम निर्धारण, अनुदान की राशि का निर्धारण इस समिति के द्वारा किया जायेगा।

(घ) पुस्तकालय :–

संस्थान का एक विश्वस्तरीय पुस्तकालय समस्त आधुनिक उपकरणों से युक्त होगा। जिसमें प्रकाशन की सभी सुविधायें उपलब्ध होंगी। देश एवं प्रदेश के सभी साहित्यकारों के साहित्य, शोधग्रन्थ, इतिहास, आलोचनात्मक ग्रन्थ आदि पुस्तकालय में रखे जायेंगे।

10–विभागों का प्रबन्ध–

(1) संस्थान का निदेशक चारों विभागों के कार्यों की देख–रेख करेगा।

(2) चारों विभागों के लिए एक वैतनिक उपनिदेशक होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

(3) उक्त चारों विभाग, संस्थान की प्रबन्धकारिणी समिति के मार्ग निर्देशन के अनुसार कार्य करेंगे।

(4) उपाध्यक्ष जो प्रबन्धकारिणी समिति का अध्यक्ष होगा, इन चारों विभागों का भी अध्यक्ष होगा।

(5) यदि आवश्यक हुआ तो उपाध्यक्ष, प्रबन्धकारिणी समिति के परामर्श से ऐसी उप समितियां गठित कर सकता है, जो उक्त प्रभागों के कार्य के लिए उपयोगी हो। संस्थान का उपाध्यक्ष ही उक्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

11–साधारण सभा की बैठक–

संस्थान के कार्य सम्पादन के लिए वर्ष में कम से कम एक बैठक साधारण सभा की होगी जिसकी गणपूर्ति दो–तिहाई होगी, जिसमें संस्थान का बजट प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तुत और पारित किया जायेगा। साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति हेतु दो–तिहाई की संख्या आवश्यक होगी। बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी। आकस्मिक बैठक अल्पकालिक समय में आहूत की जा सकेगी।

12–साधारण सभा के कर्तव्य और उत्तरदायित्व–

(1) प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किये गये वार्षिक आय–व्यय को पारित करना।

(2) संस्थान के कार्य तथा प्रशासन संचालन के लिए नियम बनाना, उन्हें अंगीकृत करना एवं समयानुसार उनमें परिवर्तन करना।

(3) संस्थान के लेखों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सम्परीक्षकों द्वारा जांच कराने की व्यवस्था करना।

(4) प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विचार करना तथा स्वीकृत करना।

(5) संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्यों में अभिवृद्धि हेतु, यदि कोई अन्य विषय प्रस्तुत हो, तो उक्त पर विचार करना एवं स्वीकृत करना।

(6) अन्य किसी भी कार्य पर विचार करना जिससे संस्थान के कर्तव्यों एवं उद्देश्य की पूर्ति हो।

13–प्रबन्धकारिणी समिति–

(अ) प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की कार्यावधि तीन वर्ष होगी।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य की सदस्यता उनके संस्थान के सदस्य न रहने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(स) कोई भी सदस्य यदि अपना पदत्याग करना चाहे, तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है, जो उसकी स्वीकृति के दिनांक से प्रभावी होगा।

(द) प्रबन्धकारिणी समिति किसी रिक्ति के होते हुए भी अथवा सदस्य मनोनीत किए जाने में हुई कोई त्रुटि होने पर भी अपना कार्य करती रहेगी।

(य) प्रबन्धकारिणी समिति की तीन माह में एक बार बैठक होगी। आवश्यकता होने पर एक सप्ताह के नोटिस पर तत्काल बैठक आहूत की जा सकती है।

(र) इस नियम में पूर्वोक्त उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी उत्तराखण्ड शासन, अपने विवेक पर प्रबन्धकारिणी समिति का पुनर्गठन कर सकता है।

14–प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य और उत्तरदायित्व–

(1) साधारण सभा के नियंत्रणाधीन संस्थान के सम्पूर्ण कार्यों के कार्यान्वयन की प्राधिकारी।

(2) संस्थान एवं उसके कार्यालय के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी।

(3) साधारण सभा के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ संस्थान का कार्यक्रम एवं योजना तैयार करना।

(4) साधारण सभा के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखों को तैयार करना।

(5) संस्थान के कार्य संचालन हेतु शासन से ऐसे पदों का सृजन कराना, जिनकी आवश्यकता हो तथा उन पर नियुक्ति आदि की शर्तें निर्धारित करना।

(6) संस्थान के कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियों हेतु नियमावली का गठन करना।

(7) अन्य समस्त ऐसे कार्य करना, जो संस्थान के उद्देश्यों एवं कर्तव्यों की पूर्ति में सहायक हों या संस्थान द्वारा सौंपे जायें।

(8) अपने कार्य संचालन और प्रशासन के लिए समय–समय पर नियम बनाना, इनका अनुपालन करना, उनमें परिवर्तन करना।

(9) संस्थान के लिए निधि प्राप्त करना, उसे रखना, उसमें वृद्धि करना तथा संस्थान की सम्पत्ति का प्रबन्ध करना।

(10) संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त धन का एक रिवॉल्विंग फण्ड बैंक में रखना तथा उसका समुचित उपयोग करना।

(11) संस्था के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को क्रय करना, विनिमय में लेना, किराये पर लेना अथवा अर्जित करना या उसका निस्तारण करना अथवा सम्पत्ति को दान स्वरूप प्राप्त करना तथा कार्योपरान्त इसकी सूचना राज्य सरकार को देना।

(12) सामान्यतः या किसी तदर्थ प्रयोजन के लिए संस्थान के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए एक या अधिक समिति या उप–समितियों का गठन करना।

15–लेखा सम्परीक्षण–

संस्थान के लेखों की सम्परीक्षा राज्य सरकार की स्वीकृति से नियुक्त किये गये लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष की जायेगी।

16–आय एवं सम्पत्ति–

संस्थान की आय तथा सम्पत्ति के किसी भाग का भुगतान या हस्तान्तरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो किसी समय में संस्थान के सदस्य हों या रहे हों अथवा उनमें से किसी भी व्यक्ति को लाभांश बोनस के रूप में या अन्यथा और भी इसी प्रकार से लाभ के रूप में नहीं लिया जायेगा। संस्थान की आय उसी के उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय की जायेगी।

17–संलेखों का निष्पादन–

संलेखों का निष्पादन, संस्थान से सम्बन्धित सभी संविदायें तथा अन्य विलेख संस्थान के नाम से किये गये समझे जायेंगे और संस्थान की ओर से उनका निष्पादन निदेशक द्वारा किया जायेगा।

18–विघटन–

संस्थान का विघटन होने पर यदि उसके ऋणों तथा दायित्वों का परिशोधन करने के पश्चात् कोई सम्पत्ति शेष रह जायें तो संस्थान के किसी सदस्य को उसका भुगतान नहीं किया जायेगा, अपितु राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ढंग से उसका निस्तारण किया जायेगा।

19–सदस्यों को मानदेय एवं यात्रा–भत्ता–

संस्थान कार्यकारिणी समिति अथवा संस्थान या कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति के सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार या उत्तराखण्ड सरकार के कर्मचारी अथवा परिनियत निकायों के सदस्य या कार्यकर्ता हों, संस्थान अथवा प्रबन्धकारिणी समिति या समितियों की बैठकों में उपस्थित होने अथवा संस्थान या प्रबन्धकारिणी समिति

के कार्य के निमित्त की गई यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रिक तथा दैनिक भत्तों के लिए अपनी सम्बन्धित सरकार या परिनियत निकाय के नियमों से नियंत्रित होंगे। जहाँ तक उल्लिखित सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों का सम्बन्ध है, उन्हें उत्तराखण्ड सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को देय दरों के अनुसार यात्रिक भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा। संस्थान/प्रबन्धकारिणी समिति या समितियों के सदस्यों को कोई अन्य पारिश्रमिक देय न होगा।

20–संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमे–

संस्थान की ओर से अथवा उसके विरुद्ध मुकदमे संस्थान के निदेशक के नाम से संस्थित किए जायेंगे।

21–नियमावली में संशोधन–

इस नियमावली में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने विवेक पर अथवा उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए यथोचित नोटिस देने के उपरान्त उक्त प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई गई साधारण सभा की बैठक में किया जा सकता है। इस हेतु दो तिहाई बहुमत आवश्यक होगा।

22–अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति–

अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार की जायेगी। इस अकादमी का प्रशासनिक नियन्त्रण भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन होगा।

23–सामान्य–

(क) उत्तराखण्ड के राज्यपाल, समय–समय पर, संस्थान को ऐसे मामलों में, जिनमें राज्य सुरक्षा निहित हो अथवा जो पर्याप्त सार्वजनिक हित के हों, उसके कृत्यों के प्रयोग और सम्पादन के संबंध में निर्देश दे सकते हैं तथा वे ऐसे अन्य निर्देश भी दे सकते हैं, जिन्हें वे संस्थान के कार्य संचालन और वित्तीय मामलों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में आवश्यक समझें और इसी प्रकार किसी ऐसे निर्देश/निर्देशों को परिवर्तित तथा विघटित कर सकते हैं। संस्थान इस प्रकार जारी किये गये निर्देश/निर्देशों को तात्कालिक प्रभाव से कार्यान्वित करेगा।

(ख) राज्यपाल संस्थान की सम्पत्ति और उसके कार्यकलापों के सम्बन्ध में ऐसे विवरण, लेखा तथा अन्य सूचना की माँग कर सकते हैं, जिनकी उन्हें समय–समय पर आवश्यकता हो।

आज्ञा से,

राजीव चन्द्र,
सचिव।

विधायी–राजपत्र दिनांक 01–6–2010 भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी०एस०यू० (आर०ई०) 01 भाषा/283–06–5–2010–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)

उत्तराखण्ड शासन

भाषा अनुभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 फरवरी, 2010

संख्या 35/XXXIX-2010-भा०अनु०-21(रा)/2009-टी०सी०-भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा हिन्दी है। उत्तराखण्ड राज्य ने भी हिन्दी को शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है। हिन्दी भाषा के विकास एवं सम्वर्द्धन हेतु श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी नियमावली, 2009 को निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी नियमावली, 2009

1-परिभाषाएं-

1-इस संस्थान का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी" होगा। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड प्रदेश होगा।

2-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-

(क) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी नियमावली, 2009" है।

(ख) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

3-इस अकादमी का पंजीकृत कार्यालय जनपद देहरादून होगा।

4-विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में-

(क) "अकादमी" से उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी अभिप्रेत है;

(ख) "सरकार या राज्य सरकार तथा शासन" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है,

(ग) "अर्द्धसरकारी सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी संगठन का प्रतिनिधि हो किन्तु जो पदेन सरकारी सदस्य न हो,

(घ) "गैर सरकारी सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो न तो पदेन सरकारी सदस्य हो और न ही अर्द्धसरकारी सदस्य हो,

(ङ) "साधारण सभा" से अकादमी की साधारण सभा अभिप्रेत है,

(च) "अध्यक्ष" से अकादमी का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(छ) "उपाध्यक्ष" से संस्थान का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है,

(ज) "सचिव" से संस्थान का सचिव अभिप्रेत है, जो संस्थान का सदस्य सचिव भी होगा,

(झ) "अधिनियम" से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 अभिप्रेत है।

2-उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी के उद्देश्य

उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी के उद्देश्य और कार्य निम्नलिखित होंगे :-

1-हिन्दी के संवर्द्धन के लिए उत्तराखण्ड के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की पाठ्य-पुस्तकों प्राविधिक तथा अन्य सभी विषयों पर अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करना व विभिन्न भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद करना व कराना।

2-विद्यालय, विश्वविद्यालय की पाठ्य-पुस्तकों, प्राविधिक तथा अन्य सभी विषयों से सम्बंधित पुस्तकों, शब्दकोशों इत्यादि को मूल रूप से हिन्दी में तैयार करना या कराना।

3–विभिन्न विषयों पर शोधपत्र, निबन्ध तथा पत्रिकाएं मूल रूप में हिन्दी में तैयार करना व कराना।

4–उपर्युक्त पुस्तकों, शोधपत्रों, इत्यादि के मुद्रण की व्यवस्था करना उनके प्रकाशन तथा विपणन की व्यवस्था करना।

5–हिन्दी के विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य–पुस्तकों को लिखने के लिए शिक्षा के आधुनिक तकनीकी रचनाकारों एवं उत्कृष्ट विद्वानों, विशेषज्ञों तथा अनुभवी लेखकों का चयन करना और प्रोत्साहन देना।

6–लेखकों या प्रकाशकों द्वारा निजी रूप से तैयार कराई गई विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के अनुमोदन के सम्बन्ध में अधिकारियों को उपयुक्त परामर्श देना जिससे लेखकों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

7–हिन्दी वाड्मय के शब्दकोष के विस्तार के लिए विश्व के तकनीकी विद्वानों की कार्यशालाएं आयोजित कर, हिन्दी तकनीकी शब्दों को व्यवहार में लाना तथा अभियान्त्रिकों से हिन्दी के सॉफ्टवेयर तैयार कराना।

8–हिन्दी वाड्मय की समृद्धि के लिए विश्व साहित्य से विभिन्न उच्च स्तरीय ग्रन्थों तथा मानक ग्रन्थों की मौलिक रचनाओं का संकलन तथा हिन्दी में अनुवाद करना।

9–संस्थान द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्राचीन, अर्वाचीन रचित परन्तु अप्रकाशित ग्रंथों का प्रकाशन कराना।

10–साहित्य एवं ग्रन्थों की खोज कर उसे प्रकाशित कर ग्रन्थों की बिक्री की व्यवस्था करना।

11–हिन्दी भाषा में लिखित प्राचीन दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संकलन, संरक्षण एवं प्रकाशन करना।

12–हिन्दी भाषा व साहित्य के प्रचार–प्रसार के लिए ग्रन्थों की प्रदर्शनियां आयोजित करना।

13–हिन्दी में रचित मौलिक ग्रन्थों तथा अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनुदित उच्चकोटि की साहित्यिक कृतियों को पुरस्कार प्रदान करना।

14–हिन्दी लेखकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

15–हिन्दी पत्रकारिता के विकास के लिए कार्य करना।

16–हिन्दी की उच्चकोटि की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

17–हिन्दी साहित्य की उत्कृष्ट पुस्तकों का चयन, क्रय–विक्रय करना।

18–विभिन्न शासकीय अर्द्धशासकीय तथा अशासकीय विभागों/संस्थाओं को अपने विभागीय कार्य हिन्दी भाषा में करने व कराने हेतु प्रेरित करना तथा उनसे मासिक रूप से प्रगति सूचना प्राप्त करना।

19–जनसामान्य में हिन्दी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह, विभिन्न प्रतियोगिताएं, शोभा यात्राओं आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना।

20–केन्द्र सरकार की हिन्दी भाषा सम्बन्धी योजनाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना एवं तदनुसार कार्य करना।

21–ऐसे सभी कार्य करना, जिनसे हिन्दी भाषा व साहित्य का विकास हो तथा ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्यों के आगे बढ़ने की सम्भावना हो।

3–अकादमी की समितियां–

साधारण सभा

1–अध्यक्ष	मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड
2–उपाध्यक्ष	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत महानुभाव
3–सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
4–सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
5–सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन

6–सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
7–सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
8–सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तराखण्ड के किन्हीं दो (02) विश्वविद्यालयों के कुलपति
9–सदस्य	निदेशक/सचिव, संस्कृति विभाग
10–सदस्य	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11–सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के छः (06) साहित्यकार
12–सदस्य	निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान
13–सदस्य	सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
14–वरिष्ठ लेखाधिकारी	उत्तराखण्ड भाषा अकादमी
15–सदस्य सचिव	सचिव, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी।

प्रबन्धकारिणी समिति

जैसा कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 2 के अधीन अपेक्षित है कि अकादमी से सम्बंधित कार्यों की व्यवस्था हेतु प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करने वाले व्यक्तियों के नाम, पते व व्यवसाय निम्न प्रकार हैं :–

1–अध्यक्ष	मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड
2–कार्यकारी अध्यक्ष	प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन
3–सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन
4–सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
5–सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
6–सदस्य	उत्तराखण्ड भाषा संस्थान
7–सदस्य	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
8–सदस्य	उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित साहित्यकारों में से तीन (03)
9–सदस्य	वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी
10–सदस्य सचिव	सचिव, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी।

4–सदस्यता, सदस्यों का कार्यकाल–

(1) इस अकादमी के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्ध सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अर्द्ध सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन को समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(2) अकादमी अथवा उसकी प्रबन्धकारिणी समिति अथवा उसकी किसी भी समिति के जो पदेन सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी सदस्य होंगे, उनकी सदस्यता उस पद की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उस पद के उत्तराधिकारी ऐसे सदस्य हो जायेंगे।

(3) अकादमी प्रबन्धकारिणी समिति अथवा उसकी किसी समिति के किसी पदेन सदस्य के स्थान पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा किसी भी समय प्रतिस्थानी को नियुक्त किया जा सकता है तथा ऐसी नियुक्ति पर अनमुक्त सदस्य के स्थान पर प्रतिस्थानी सदस्य स्थान ग्रहण करेगा।

(4) गैर सरकारी सदस्यों की दशा में उनकी सदस्यता का कार्यकाल उनकी नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगा, जो व्यक्ति किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होगा, उस संगठन द्वारा उसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिये जाने पर वह सदस्य नहीं रहेगा।

(5) अकादमी का कोई भी सदस्य, उस दशा में सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाय, वह त्यागपत्र दे, विकृत मस्तिष्क का हो जाये, दिवालिया घोषित कर दिया जाय अथवा नैतिक पतन सम्बन्धी दण्डापराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ हो।

(6) यदि कोई सदस्य अकादमी की सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहे, वह अकादमी के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है, जो स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा।

(7) किसी रिक्ति में मनोनीत व्यक्ति सदस्यता के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही पदधारण करेगा।

(8) अकादमी तथा इसकी प्रबन्धकारिणी समिति अपना कार्य करती रहेगी, भले ही उसके किसी अंग में कोई रिक्ति हो और भले ही उसके किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा नाम के मनोनीत करने में कोई चूक या विलम्ब हो।

5—अध्यक्ष और उपाध्यक्ष—

(1) उत्तराखण्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री, अकादमी के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(2) उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए की जायेगी। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के कृत्यों का निष्पादन करेंगे और उनके अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

(4) उपाध्यक्ष अपना लिखित त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं, जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

(5) उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्य सरकार द्वारा उस पद पर पुनः मनोनयन किया जायेगा।

6—सचिव—

प्रबन्धकारिणी तथा साधारण सभा द्वारा लिये गये निर्णय के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए अकादमी में एक वैतनिक सचिव की नियुक्ति उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की जायेगी। सचिव, उपाध्यक्ष के निर्देश पर कार्य करेगा। सचिव हिन्दी अकादमी तथा प्रबन्धकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा। सचिव, उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय महाविद्यालयों के उपाचार्य/आचार्य/उच्चकोटि का साहित्यकार/सचिवालय सेवा का अधिकारी, जो अपर सचिव के स्तर से कम न हो, की तैनाती प्रतिनियुक्ति द्वारा की जायेगी। सचिव का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

7—सचिव के कार्य—

सचिव के कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं ऐसे सामान्य और विशेष अनुदेश जिन्हें साधारण सभा/प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विहित किया जायेगा, उनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सचिव द्वारा किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त सचिव, हिन्दी अकादमी, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करते हुए कार्य करेगा।

सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :—

(1) अकादमी के प्रशासन का सामान्य नियंत्रण,

(2) प्रबन्धकारिणी समिति और साधारण सभा की बैठकें आहूत करना,

(3) अकादमी की ओर से समस्त धनराशि और प्रतिभूतियों को प्राप्त करना और अकादमी के धन और अन्य सम्पत्तियों के समुचित रख–रखाव और अभिरक्षा की व्यवस्था करना।

(4) अकादमी की ओर से वचन–पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित और हस्तांतरित करना और चेकों तथा अन्य परक्राम्य लिखित, (निगोशिएबिल इन्स्ट्रूमेन्ट्स) पृष्ठांकित और परिक्रमित करना।

(5) सचिव, अकादमी के दिन–प्रतिदिन के कार्यों के सामान्य संचालन, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) सचिव सभी जमा पर्चियों पर हस्ताक्षर करेगा और बैंक में अकादमी का खाता खोलेगा।

(7) सचिव, अकादमी के पक्ष में सभी बन्ध-पत्रों और अनुबन्ध-पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा।

(8) अकादमी के कर्मचारियों व अधिकारियों की शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करना।

(9) वह अकादमी द्वारा या अकादमी के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही संस्थित करना, संचालित करना, प्रतिवाद करना या अकादमी द्वारा या अकादमी के विरुद्ध किसी दावा या मांग के भुगतान या समाधान के लिए निपटारा भी करना और समय की अनुमति देना।

(10) अकादमी के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को समस्त या कोई शक्ति, प्राधिकार और निर्देशन, जो उसमें निहित हो, को अन्तिम नियंत्रण और प्राधिकार अपने पास रखते हुए, प्रत्यायोजित करना।

(11) अकादमी और उसकी बैठकों के कार्य से सम्बन्धित समस्त अभिलेख, लेखा और पंजी का रख-रखाव।

(12) अकादमी के कार्यहित में सचिव, अकादमी के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को जिस अवधि के लिए उपयुक्त समझे उपरिलिखित खण्ड (एक) से (ग्यारह) तक की शक्तियों का आंशिक अथवा पूर्ण रूप से प्रतिनिधायन कर सकते हैं।

(13) अकादमी के हित में अकादमी का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी/कर्मचारी सचिव द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कृत्यों और दायित्वों का सम्पादन करेंगे।

8—वरिष्ठ लेखाधिकारी की नियुक्ति एवं कार्य—

राज्य सरकार द्वारा एक ऐसे वरिष्ठ लेखाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो अकादमी के समुचित लेखा तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उत्तरदायी होगा। वह लेखे का वार्षिक विवरण बैलेन्सशीट तथा अन्य अर्थ सम्बन्धी कार्य करेगा। वरिष्ठ लेखाधिकारी अकादमी के नियमों का पालन करेगा। किन्तु आहरण तथा वितरण का अधिकार सचिव/प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष में निहित होगा। सचिव/प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष व्यय सम्बन्धी मामलों में अन्तिम निर्णय लेने के अधिकारी होंगे।

9—हिन्दी अकादमी के विभाग—

(क) प्रशासन विभाग

(ख) प्रकाशन विभाग

(ग) अनुसंधान विभाग

(क) प्रशासन विभाग :

सचिव के निर्देशन में यह विभाग अकादमी के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करेगा। सभी विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा एवं समस्त कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था करेगा।

(ख) प्रकाशन विभाग :

अनुसंधान विभाग द्वारा निर्मित सामग्री के प्रकाशन, संग्रहण तथा विपणन की व्यवस्था करेगा।

(ग) अनुसंधान विभाग

अकादमी की सभी शोध योजनाओं, शोध संगोष्ठियों की व्यवस्था अनुसंधान विभाग द्वारा की जायेगी। शोध योजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए समितियों के सदस्यों का नाम निर्धारण अनुदान की राशि का निर्धारण इस समिति के द्वारा किया जायेगा।

10—विभागों का प्रबन्ध—

(1) अकादमी का सचिव तीनों प्रभागों के कार्यों की देख-रेख करेगा।

(2) तीनों प्रभागों के लिए एक वैतनिक उप सचिव होंगे। जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

(3) उक्त तीनों प्रभाग, अकादमी की प्रबन्धकारिणी समिति के मार्ग निर्देशन के अनुसार कार्य करेंगे।

(4) उपाध्यक्ष जो प्रबन्धकारिणी समिति का अध्यक्ष होगा, इन तीनों प्रभागों का भी अध्यक्ष होगा।

(5) यदि आवश्यक हुआ तो उपाध्यक्ष, प्रबन्धकारिणी समिति के परामर्श से ऐसी उप समितियां गठित कर सकता है, जो उक्त प्रभागों के कार्य के लिए उपयोगी हो; किन्तु उपाध्यक्ष ही उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

11–साधारण सभा की बैठक–

अकादमी के कार्य सम्पादन के लिए वर्ष में कम से कम एक बैठक साधारण सभा की होगी। जिसमें संस्थान का बजट कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तुत और पारित किया जायेगा। साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक होगी जो दो तिहाई होगी। बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी। आकस्मिक बैठक अल्पकालिक सूचना पर आहूत की जा सकेगी।

12–साधारण सभा के कर्तव्य और उत्तरदायित्व–

(1) प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किये गये वार्षिक आय–व्यय को पारित करना।

(2) अकादमी के कार्य तथा प्रशासन संचालन के लिए नियम बनाना, उन्हें अंगीकृत करना एवं समयानुसार उनमें परिवर्तन करना।

(3) अकादमी के लेखाओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सम्परीक्षकों द्वारा जांच कराने की व्यवस्था करना।

(4) प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विचार करना तथा स्वीकृत करना।

(5) अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्यों में अभिवृद्धि हेतु यदि कोई अन्य विषय प्रस्तुत हो, तो उक्त पर विचार करना एवं स्वीकृत करना।

(6) अन्य किसी भी कार्य पर विचार करना जिससे अकादमी के कर्तव्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हो।

13–प्रबन्धकारिणी समिति–

(अ) प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की कार्यावधि तीन वर्ष होगी।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य की सदस्यता उनके अकादमी के सदस्य न रहने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(स) कोई भी सदस्य यदि अपना पद त्याग करना चाहे, तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है, जो उसके स्वीकृति के दिनांक से प्रभावी होगा।

(द) प्रबन्धकारिणी समिति किसी रिक्ति के होते हुए भी अथवा सदस्य मनोनीत किए जाने में हुई कोई त्रुटि होने पर भी अपना कार्य करती रहेगी।

(य) प्रबन्धकारिणी समिति की तीन माह में एक बार बैठक होगी। आवश्यकता होने पर एक सप्ताह के नोटिस पर तत्काल बैठक आहूत की जा सकती है।

(र) इस नियम में पूर्वोक्त उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी उत्तराखण्ड शासन, अपने विवेक पर प्रबन्धकारिणी समिति का पुनर्गठन कर सकता है।

14–प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य और उत्तरदायित्व–

(1) साधारण सभा के नियंत्रणाधीन अकादमी के सम्पूर्ण कार्यों के कार्यान्वयन की प्राधिकारी।

(2) अकादमी एवं उसके कार्यालय के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी।

(3) साधारण सभा के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ अकादमी का कार्यक्रम एवं योजना तैयार करना।

(4) साधारण सभा के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखों को तैयार करना।

(5) अकादमी के कार्य संचालन हेतु शासन से ऐसे पदों का सृजन कराना, जिनकी आवश्यकता हो तथा उन पर नियुक्ति आदि की शर्तें निर्धारित करना।

(6) अकादमी के कर्मचारीवर्ग की नियुक्तियां हेतु नियम एवं अर्हता निर्धारित करना, उन्हें स्थायी करने की संस्तुति करना/सेवामुक्त करना/पदच्युत करना के सम्बन्ध में नियम बनाना।

(7) अन्य समस्त ऐसे कार्य करना, जो अकादमी के उद्देश्यों एवं कर्तव्यों की पूर्ति में सहायक हों या अकादमी द्वारा सौंपे जायें।

(8) अपने कार्य संचालन और प्रशासन के लिए समय-समय पर नियम बनाना, इनका अनुपालन करना, उनमें परिवर्तन करना।

(9) अकादमी के लिए निधि प्राप्त करना, उसे रखना, उसमें वृद्धि करना तथा संस्थान की सम्पत्ति का प्रबन्ध करना।

(10) संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त धन का एक रिवाल्विंग फण्ड बैंक में रखना तथा उसका समुचित उपयोग करना।

(11) अकादमी के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को क्रय करना, विनिमय में लेना, किराये पर लेना अथवा अर्जित करना या उसका निस्तारण करना अथवा सम्पत्ति को दान स्वरूप प्राप्त करना तथा कार्योपरान्त इसकी सूचना राज्य सरकार को देना।

(12) सामान्यतया या किसी तदर्थ प्रयोजन के लिए अकादमी के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए एक या अधिक समिति या उप-समितियों का गठन करना।

15-लेखा सम्परीक्षण-

अकादमी के लेखों की सम्परीक्षा राज्य सरकार की स्वीकृति से नियुक्त किये गये लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष की जायेगी।

16-आय एवं सम्पत्ति-

अकादमी की आय तथा सम्पत्ति के किसी भाग का भुगतान या हस्तान्तरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो किसी समय में अकादमी के सदस्य हों या रहे हों अथवा उनमें से किसी भी व्यक्ति को लाभांश बोनस के रूप में या अन्यथा और भी इसी प्रकार से लाभ के रूप में नहीं दिया जायेगा। अकादमी की आय उसी के उद्देश्यों को बढ़ाने में लगायी जायेगी।

17-संलेखों का निष्पादन-

संलेखों का निष्पादन, अकादमी से सम्बन्धित सभी संविदायें तथा अन्य विलेख अकादमी के नाम से किये गये समझे जायेंगे और अकादमी की ओर से उनका निष्पादन सचिव द्वारा किया जायेगा।

18-विघटन-

अकादमी का विघटन होने पर यदि उसके ऋणों तथा दायित्वों का परिशोधन करने के पश्चात् कोई सम्पत्ति शेष रह जाये तो अकादमी के किसी सदस्य को उसका भुगतान नहीं किया जायेगा, अपितु राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ढंग से उसका निस्तारण किया जायेगा।

19-सदस्यों को मानदेय एवं यात्रा-भत्ता-

अकादमी, प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति के सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार या उत्तराखण्ड सरकार के कर्मचारी अथवा परिनियत निकायों के सदस्य या कार्यकर्ता हों, अकादमी अथवा प्रबन्धकारिणी समिति या समितियों की बैठकों में उपस्थित होने अथवा अकादमी या प्रबन्धकारिणी समिति के कार्य के निमित्त की गई यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रिक तथा दैनिक भत्तों के लिए अपनी सम्बन्धित सरकार या परिनियत निकाय के नियमों से नियंत्रित होंगे। जहाँ तक उल्लिखित सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों का सम्बन्ध है, उन्हें उत्तराखण्ड सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को देय दरों के अनुसार यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता मिलेगा। अकादमी/प्रबन्धकारिणी समिति या समितियों के सदस्यों को कोई अन्य पारिश्रमिक देय न होगा।

20-अकादमी द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमे-

अकादमी की ओर से अथवा उसके विरुद्ध मुकदमे अकादमी के सचिव के नाम से संस्थित किए जायेंगे।

21–नियमावली में संशोधन–

इस संविधान में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने विवेक पर अथवा उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए यथोचित नोटिस देने के उपरान्त उक्त प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई गई साधारण सभा की बैठक में किया जा सकता है। इस हेतु दो तिहाई बहुमत आवश्यक होगा।

22–अधिकारी / कर्मचारियों की नियुक्ति–

अधिकारी / कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार की जायेगी। इस अकादमी का प्रशासनिक नियन्त्रण भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन होगा।

23–सामान्य–

(क) उत्तराखण्ड के राज्यपाल, समय–समय पर, अकादमी को ऐसे मामलों में, जिनमें राज्य सुरक्षा निहित हो अथवा जो पर्याप्त सार्वजनिक हित के हों, उसके कृत्यों के प्रयोग और सम्पादन के संबंध में निर्देश दे सकते हैं तथा वे ऐसे अन्य निर्देश भी दे सकते हैं, जिन्हें वे अकादमी के कार्य संचालन और वित्तीय मामलों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में आवश्यक समझें और इसी प्रकार किसी ऐसे निर्देश / निर्देशों को परिवर्तित तथा विघटित कर सकते हैं। अकादमी इस प्रकार जारी किये गये निर्देश / निर्देशों को तात्कालिक प्रभाव से कार्यान्वित करेगा।

(ख) राज्यपाल अकादमी की सम्पत्ति और उसके कार्यकलापों के सम्बन्ध में ऐसे विवरण, लेखा तथा अन्य सूचना की मांग कर सकते हैं, जिनकी उन्हें समय–समय पर आवश्यकता हो।

आज्ञा से,

राजीव चन्द्र,
सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 08–5–2010, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी०एस०यू० (आर०ई०) 02 भाषा / 296–26–5–2010–100 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

संलग्नक-03 (20)

उत्तराखण्ड शासन
भाषा विभाग
संख्या– 616 / xxxix/-09(सा0) / 2013
देहरादूनः दिनांकः 22 जुलाई, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 345 और 351 तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के साथ–साथ भारतीय भाषाओं के विकास और उसके संवर्धन हेतु भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन उर्दू अकादमी की स्थापना के उद्देश्य एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी नियमावली, 2013

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ एवं विस्तार–
   (1) इस अकादमी का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी" है।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. मुख्यालय–
   अकादमी का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड होगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर राज्य की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन किया जा सकेगा।
3. अकादमी का कार्य क्षेत्र–
   सामान्यतया अकादमी का कार्य क्षेत्र उत्तराखण्ड का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा।
4. परिभाषायें–
   जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में
   (क) **अकादमी** से उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी अभिप्रेत है,
   (ख) **अध्यक्ष** से उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी के अध्यक्ष अभिप्रेत है,
   (ग) **अधिनियम** से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अभिप्रेत है,
   (घ) **कार्यकारी अध्यक्ष** से उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष अभिप्रेत है,
   (ङ.) **निदेशक** से उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी के निदेशक अभिप्रेत है,
   (च) **कार्यकारिणी समिति** से उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है,
   (छ) **शासन** से उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है,
   (ज) **वित्तीय वर्ष** से माह अप्रैल के पहली तारीख से प्रारंभ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष की मार्च 31 को समाप्त होने वाले वर्ष अभिप्रेत है,
   (झ) **उपाध्यक्ष** से उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष अभिप्रेत है,
   (ञ) **साधारण सभा** से उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी की साधारण सभा अभिप्रेत है,
5. अकादमी का संगठन एवं उद्देश्यः
   (क) उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, उत्तराखण्ड शासन की कार्यदायी संस्था के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में कार्य करेगी और उर्दू भाषा सम्बन्धी योजनाओं एवं कियाकलापों का संचालन करेगी।

(ख) इस अकादमी में उर्दू भाषा/बोली के साहित्य का प्रकाशन एवं प्रोत्साहन का कार्य किया जाएगा। उर्दू बोली/भाषा के शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार एवं संरक्षण की व्यवस्था करना, उसके साहित्य को प्रोत्साहन देना।

(ग) अकादमी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्टर्ड एक निकाय होगी, उसकी स्थाई सील होगी और उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी के नाम से संस्थान का संचालन किया जायेगा। अकादमी के सभी कार्यकलाप सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के प्राविधानों के अधीन रहते हुए शासन द्वारा स्थापित नियमों/विनियमों के अनुसार किए जायेगें।

(घ) अकादमी किसी भी राजनैतिक अथवा साम्प्रदायिक संगठन से सम्बद्ध नही रहेगी और न ही किसी असामाजिक अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेगी।

(ङ.) भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों को उर्दू भाषा के मौलिक, साहित्यिक एवं शैक्षिक रचनाओं में प्रोत्साहित एवं प्रकाशित करना, बच्चों के लिए भी पुस्तकों का प्रकाशन करना तथा उच्च स्तर के उर्दू में हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता शासन द्वारा या शासन की अनुमति से स्थापित नियमों/विनियमों के अन्तर्गत प्रदान करना।

(च) भारत में उर्दू भाषा, संस्कृति तथा साहित्य व कला के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता सम्मेलनों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उत्तराखण्ड की भाषाई संस्कृति के अनिवार्य अंग के रूप में उर्दू भाषा एवं साहित्य का परीक्षण एवं अभिवृद्वि करना।

(छ) राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य से उर्दू भाषा तथा साहित्य को बढ़ावा देने हेतु अन्य ठोस कार्य करना।

(ज) राज्य के साहित्यकारों के दुर्लभ साहित्य, अप्राप्त साहित्यिक, उत्कृष्ट और उपयोगी साहित्य, शोध ग्रन्थ का पुनः प्रकाशन किया जाना। अप्रकाशित पाण्डुलिपियों का प्रकाशन करना अथवा प्रकाशन में सहयोग करना।

(झ) दुर्लभ पुस्तकों को निःशुल्क, दान अथवा मूल्य देकर प्राप्त करना, शोधार्थियों को दुर्लभ पुस्तकों की छाया प्रतियां मूल्य लेकर उपलब्ध कराना एवं दुर्लभ पुस्तकों की पुनःप्रकाशन की व्यवस्था करना।

(ञ) प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना तथा स्मृति चिन्ह, पुस्तकें आदि प्रदान करना, जिसे शासन या शासन की अनुमति से स्थापित विनियमों से निश्चित करें।

(ट) राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत स्वयं सेवी उर्दू साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं संस्थाओं से वैचारिक आदान-प्रदान करना तथा उनकी उर्दू भाषा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक योजनाओं के अनुसार सहायता करना। अनुवाद/प्रकाशन में अनुदान या विपणन में सहायता प्रदान करना।

(ठ) साहित्यकारों को स्थापित पुरस्कार नियमावली के प्राविधान के अन्तर्गत सम्मानित और पुरस्कृत करना।

(ड) उर्दू भाषा एवं बोली का मानकीकरण करना।

(ढ) उर्दू भाषा एवं बोली के शब्दकोश निर्माण एवं प्रकाशन करना।

(ण) उर्दू भाषा में रचित साहित्य भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की व्यवस्था करना।

(त) उर्दू भाषा के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना तथा उर्दू के बुजुर्गों एवं जरूरतमंद लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(थ) उर्दू भाषा के अध्येयताओं को उच्च अध्ययन के लिये अकादमी द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट समय के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना। इन नियमों के अधीन प्रकाशित सामग्री की बिकी की व्यवस्था करना।

(द) अकादमी अथवा उसकी किसी सम्पत्ति का उपयोग राजनैतिक अथवा राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा।

(ध) अकादमी के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसके हितों की पूर्ति हेतु केन्द्र अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्तियों से आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति, अनुदान, संविदा, अनुज्ञप्तियों, अधिकार, रियायत, विशेषाधिकार या उन्मुक्तियाँ प्राप्त करना, जिन्हें अकादमी द्वारा वांछनीय समझा जाये, प्राप्त करने के केन्द्र अथवा राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के साथ व्यवस्था करना और किसी भी ऐसी व्यवस्था का प्रयोग तथा अनुपालन करना, इस संबंध में शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

(न) किसी भी प्रकार के दान आदि को स्वीकार करना तथा ऐसे दानों को लेखाबद्ध करना तथा शासन के तत्काल संज्ञान में लाना।

(प) कोई ऐसे अन्य कार्य करना जो अकादमी के उपरोक्त सभी उद्देश्यों या किसी उद्देश्य की पूर्ति या उनसे सम्बन्धित प्रासंगिक कार्यों के लिए उपयोगी तथा आवश्यक हों।

(फ) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिन कार्यों के लिए नियम/विनियम/प्रकियायें स्थापित नहीं हैं, उसके लिए नियम/विनियमों की स्थापना शासन स्तर पर कराना।

6. अकादमी की सदस्यता–

(क) अकादमी की समितियों के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तथा इनका मनोनयन समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा तथा राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। राज्य सरकार बिना पूर्व सूचना के कभी भी मनोनीत सदस्यों को अपने विवेकाधीन हटा सकेगी।

(ख) राज्य सरकार किसी पूर्व सूचना के समितियों का पुनर्गठन अपने विवेक से कर सकेगी।

7. सदस्यों का कार्यकाल तथा सदस्यता की समाप्ति.

(क) पदेन सदस्य तब तक अकादमी के सदस्य बने रहेगें जब तक वे उस पद पर रहेगें, जिस पद पर बने रहने के कारण उन्हें अकादमी का सदस्य नियुक्त किया गया था।

(ख) समितियों के गैर सरकारी सदस्यों (मनोनीत सदस्यों) का कार्यकाल उनके नामांकन के दिनांक से तीन वर्ष का होगा परन्तु सदस्यों का कार्यकाल शासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के स्वयं अपने विवेक से, शिकायत या

निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा पहले भी समाप्त किया जा सकता है। यदि उनका कार्यकाल इस नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पहले ही समाप्त न कर दिया गया हो तो ऐसे सदस्य अकादमी में निर्धारित समय तक अपने पद पर बने रहेंगे। यदि राज्य सरकार उचित समझती है तो सदस्यों का कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् पुनः बढाया जा सकेगा।

(ग) कोई सरकारी सदस्य अकादमी का सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह त्यागपत्र दे देता है, पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है तथा किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, जिसमें नैतिक आचरण अर्न्तग्रस्त हो। यदि कोई गैर सरकारी सदस्य पर्याप्त कारण की सूचना दिये बगैर अकादमी की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उसे हटाया जा सकता है। इस संबंध में किसी विभाग की स्थिति में शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(घ) गैर सरकारी सदस्य की यदि कोई आकस्मिक रिक्ति होने पर उस रिक्ति को उत्तराखण्ड शासन द्वारा भरा जाएगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी रिक्त को भरे जाने हेतु नामित सदस्य का कार्यकाल उससे पूर्व सदस्य के शेष कार्यकाल तक ही होगा।

(ड.) यदि कोई गैर सरकारी सदस्य अकादमी की सदस्यता को त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र अकादमी के अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा तथा अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात वह प्रभावी होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र कार्यकारी अध्यक्ष को प्रेषित करेगा और कार्यकारी अध्यक्ष अपने मन्तव्य के साथ उसे अध्यक्ष को भेजेगा तथा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने पर त्याग-पत्र प्रभावी होगा।

(च) अकादमी की सदस्यता में किसी के रिक्त होने पर और उसके किसी सदस्य के नामांकन में त्रुटि होने पर भी अकादमी कार्यशील रहेगी तथा अकादमी का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अवैध नहीं होगी कि उसकी सदस्यता में कोई रिक्त है या उसके किसी सदस्य के नामांकन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है।

8. साधारण सभा–

(1) अकादमी के साधारण सभा में निम्नलिखित सदस्य एवं पदाधिकारी होंगे–

(क) मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (पदेन) – अध्यक्ष
(ख) मा0 भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड (पदेन) – कार्यकारी अध्यक्ष
(ग) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत महानुभाव – उपाध्यक्ष
(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
(ड़) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
(च) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
(छ) राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तराखण्ड के किसी एक (01) विश्वविद्यालय के कुलपति – सदस्य
(ज) राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के भाषाविद् छः (06) सदस्य, जिन्होंने उर्दू भाषा में विशिष्ट कार्य किया हो या उर्दू

का विशिष्ट ज्ञान हो — सदस्य

(झ) निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान — सदस्य

(ञ) वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी — सदस्य

(ट) निदेशक, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी — सदस्य सचिव

(2) बैठक आयोजित करने के लिए सदस्यों को 15 दिन पूर्व लिखित रूप में नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को कम किया जा सकता है।

(3) बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया गया निर्णय अकादमी का निर्णय माना जायेगा। सभी मामले बहुमत से तय होंगे परन्तु किसी भी प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मतों की समानता में अध्यक्ष एवं उसकी अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष का एक निर्णायक मत होगा। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही सदस्य सचिव द्वारा अभिलिखित की जाएगी तथा कार्यवाही की एक प्रति उत्तराखण्ड शासन तथा अकादमी के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। उपाध्यक्ष अपना प्रस्ताव/मन्तव्य अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे परन्तु मत देने का अधिकार उपाध्यक्ष को नहीं होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त शक्तियां एवं दायित्व कार्यकारी अध्यक्ष में अन्तर्निहित होंगे।

(4) साधारण सभा की सभी वार्षिक सामान्य बैठक में पूर्ववर्ती वर्ष में अकादमी द्वारा सम्पन्न किये गये कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा भावी कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

(5) बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष से सम्भावित आय और व्यय तथा चालू वर्ष की अनुपूरक मांगो पर विचार किया जाएगा।

(6) बैठक में कमेटी की बैलेस सीट तथा ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

(7) इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य ऐसे प्रकरण पर विचार किया जाएगा जो अध्यक्ष एवं उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा।

9. साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्तिः—

अकादमी के कार्य सम्पादन के लिए वर्ष में कम से कम एक बैठक साधारण सभा की होगी जिसकी गणपूर्ति दो—तिहाई होगी, जिसमें अकादमी का बजट प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तुत और पारित किया जाएगा। साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति हेतु दो—तिहाई की संख्या आवश्यक होगी। बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी। आकस्मिक बैठक अल्पकालिक समय में आहूत की जा सकेगी।

10. प्रबन्धकार्यकारिणी समितिः—

(1) अकादमी की कार्यकारिणी समिति की नियम—9 के उपनियम (1) में उल्लिखित साधारण सभा के पदेन सदस्यों एवं गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करके निम्नलिखित ढंग से गठित किया जायेगा। पदेन सदस्यों एवं गैर सरकारी सदस्यों की सम्मिलित संख्या निम्न होगी—

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन — सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य
(घ) राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के भाषाविद् तीन (03) सदस्य, जिन्होंने उर्दू में विशिष्ट ज्ञान हो या विशिष्ट कार्य किया हो — सदस्य
(ङ.) निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान — सदस्य
(च) वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी — सदस्य
(छ) निदेशक, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी — सदस्य सचिव

(2) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी किन्तु अध्यक्ष स्वेच्छा से अथवा कम से कम चार सदस्यों की विशेष मांग/अनुरोध पर (बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव सहित) विशेष बैठक बुला सकेंगे।

11. **कार्यकारिणी समिति की बैठके के लिए गणपूर्ति–**

अकादमी के कार्य सम्पादन के लिए त्रैमासिक रूप से न्यूनतम एक बैठक प्रबन्धकार्यकारिणी की होगी जिसकी गणपूर्ति दो–तिहाई होगी, जिसमें अकादमी का बजट साधारण सभा के अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तुत और पारित किया जाएगा। प्रबन्धकार्यकारिणी की बैठक के लिए गणपूर्ति हेतु दो–तिहाई की संख्या आवश्यक होगी। बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी। आकस्मिक बैठक अल्पकालिक समय में आहूत की जा सकेगी।

12. **कार्यकारी समिति के कार्य और अधिकार–**

(क) कार्यकारिणी समिति उर्दू भाषा की उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन के संबंध में शासन स्तर से निर्गत नियम/विनियमों के तहत् नीतिगत् मामलों पर अकादमी के निर्णयों को लागू करेगी तथा अकादमी के कार्यों को चलाने की व्यवस्था करेगी।
(ख) नियम 6 में यथाविनिर्दिष्ट अकादमी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक सभी कार्यों को स्थापित नियमों/विनियमों के अन्तर्गत करने का दायित्व कार्यकारिणी समिति को प्राप्त होगा।
(ग) उत्तराखण्ड शासन का अनुमोदन प्राप्त करके अकादमी के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण, सेवामुक्ति आदि करना तथा उनकी सेवा शर्तें निर्धारित कराना।
(घ) अकादमी के सामान्य अथवा विशिष्ट कार्यों हेतु एक या अधिक उप समितियों को गठित करना।
(ङ.) अपने कार्य संचालन और प्रशासन के लिए समय–समय पर नियम प्रख्यापित करना, इनका अनुपालन करना, उनमें परिवर्तन करना।
(च) अकादमी के प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त धन का एक रिवाल्विंग फण्ड बैंक में रखना तथा उसका समुचित नियमानुसार उपयोग करना।
(छ) अकादमी के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को क्रय करना, विनियम में लेना अथवा अर्जित करना या उसका निस्तारण करना अथवा सम्पत्ति को दान स्वरूप प्राप्त करना तथा कार्योपरान्त इसकी सूचना राज्य सरकार को देना।
(ज) अन्य ऐसे समस्त कार्य करना, जो अकादमी के उद्देश्यों एवं कर्त्तव्यों की पूर्ति में सहायक हो या अकादमी को सौंपे जायें।

(ञ) कार्यकारी समिति एवं अकादमी शासन द्वारा प्रख्यापित नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं आदि के अधीन/अन्तर्गत कार्य करेगी।

13. पदाधिकारी एवं उनके अधिकार और कर्तव्य

(क) कार्यकारी अध्यक्ष:—

समिति की साधारण सभा अथवा उसकी किसी उपसमिति की बैठक या सभापति/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष/सभापति के दायित्व का निर्वहन करेंगे। बैठक के संचालन में किसी नियम के प्रश्न पर अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष जैसी स्थिति हो द्वारा दी गई व्यवस्था अंतिम तथा मान्य होगी।

(ख) उपाध्यक्ष:—

अकादमी का एक उपाध्यक्ष होगा, जिसे उत्तराखण्ड शासन द्वारा नियम 9(1) (ग) के तहत् उर्दू भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त या तीन वर्ष जो भी पहले घटित हो, की अवधि के लिए नामित किया जायेगा यथापि शासन द्वारा इसके पहले भी नामांकन रद्द किया जा सकेगा। यदि नामांकन नहीं किया जाता और कार्यकाल समाप्ति तक पुनर्नामांकन या उसके स्थान पर नये पदाधिकारी का नामांकन आदेश शासन द्वारा किन्हीं कारणों से पारित नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कार्यरत् प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन के अग्रिम आदेशों तक उपाध्यक्ष का कार्य देखते रहेगें।

(ग) निदेशक— भाषा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव पदेन निदेशक और अकादमी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे। अकादमी के प्रशासनिक, वित्तीय एवं विधिक मामलों से संबंधित कार्य नियमों के अधीन निदेशक (प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, पदेन निदेशक) द्वारा उनके परामर्श एवं निर्देशों के अधीन किया जाएगा। निदेशक के निम्नलिखित कार्य होंगे—

(1) अकादमी का निदेशक साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति और उसकी उपसमिति का सचिव होगा तथा वह अध्यक्ष या कार्यकारिणी अध्यक्ष जैसे स्थिति हो, के परामर्श से बैठकें आयोजित करेगा तथा बैठकों का कार्यवृत्त भी अभिलिखित करेगा और उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(2) अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश और मार्गदर्शन के अधीन शासन द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निदेशक अकादमी के समुचित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) निदेशक वार्षिक प्रतिवेदन लेखा और बजट आदि उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित रूप में तैयार करने तथा उन्हें संबंधित अधिकारियों/शासन को भेजने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) निदेशक कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारण करेगा और आवश्यक पर्यवेक्षण और अनुशासनिक नियंत्रण बनाये रखेगा।

(5) निदेशक अकादमी की ओर से पत्र व्यवहार करेगा तथा शासन के विभिन्न विभागों और अन्य निकायों से सम्पर्क स्थापित करेगा।

(6) इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य जो शासन या कार्यकारिणी अध्यक्ष द्वारा सौंपा जाये।

(7) अकादमी की ओर से वचन-पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकि- और हस्तान्तरित करना और चेकों तथा अन्य पराक्रम्य लिखित, (निगोशिऐबिल इन्सट्रूमेन्ट्स) पृष्ठांकित और परिक्रमित करेगा।

(8) अकादमी द्वारा या अकादमी के विरूद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही संस्थित करना, संचालित करना, प्रतिवाद करना या अकादमी द्वारा अकादमी के विरूद्ध किसी दावा या मांग के भुगतान या समाधान के लिए निपटारा भी करना और समय की अनुमति देना।

(9) निदेशक अपने दायित्वों एवं शक्तियों को आंशिक या किसी सीमा तक अकादमी के किसी नियमित या शासन एवं प्रशासन के अधिकारी को प्रतिनिधायन कर सकेंगे।

14. कार्य संचालन एवं विनियम/नियम:-

अकादमी अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वाहन शासन द्वारा प्रख्यापित नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं के तहत् करेगा। अकादमी का वित्तीय एवं प्रशासकीय नियंत्रण शासन के अधीन होगा। अकादमी शासन द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन करेगा। कार्यकारिणी का यह दायित्व होगा कि वह अपने कार्य को चलाने के लिए शासन स्तर पर ऐसे विनियम बनाने का प्रस्ताव भेजे जो नियमावली से एवं शासन द्वारा पूर्व प्रख्यापित नियमों/विनियमों से विरोधाभाषी न हो।

15. नियमों व विनियमों के संशोधन:-

अकादमी की इस नियमावली में संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार मात्र शासन को होगा परन्तु अकादमी भी संशोधन कर सकेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी नियम संशोधित या परिवर्तित नही होगा जब तक उसे साधारण सभा में उपस्थित कम से कम दो तिहाई सदस्य एवं पदाधिकारी अनुमोदित न कर दें तथा आगे यह भी प्रतिबन्ध है कि कोई भी संशोधन या परिवर्तन तब तक कार्यान्वित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पर शासन का अनुमोदन प्राप्त न हो जाये।

16. अकादमी की निजी सम्पत्ति तथा उसका रख-रखाव:-

अकादमी की निधि तथा सम्पत्ति निम्नलिखित होगी:-

(क) दान-अनुदान अथवा दोनों जो केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य विधिमान्य संस्था या व्यक्ति से प्राप्त हो।

(ख) उर्दू समुदाय से प्राप्त चल व अचल सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त धनराशि।

(ग) अकादमी द्वारा अर्जित किसी सम्पत्ति से आय।

(घ) अकादमी की समस्त सम्पत्ति जो उसने क्रय करके या अन्य प्रकार से प्राप्त की हो या स्वयं निर्मित की हो या उसे केन्द्रीय तथा किसी संस्था अथवा व्यक्ति से प्राप्त हुई हो।

(ङ.) उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी की चल-अचल सम्पत्ति का रख-रखाव निदेशक द्वारा किया जायेगा तथा शासन व अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशियों या सम्पत्तियों को निदेशक द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा उसे नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

(च) अकादमी द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियाँ शासन द्वारा अनुमोदित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा लेखे में अथवा कोषागार में

व्यक्तिगत लेजर लेखे में अथवा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये सामान्य व विशिष्ट निर्देशों के अनुसार जमा की जायेगी। धनराशि की आहरण निदेशक तथा वित्त अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(छ) अकादमी की सम्पत्ति से आय का उपयोग उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा तथा समस्त ऐसे व्यय जमा धनराशियों पर प्राप्त ब्याज एवं शासन से प्राप्त अनुदान की धनराशि तक ही सीमित रहेंगे।

(ज) जिस धनराशि की अकादमी को तुरन्त आवश्यकता न होगी वह भारतीय न्याय अधिनियम, 1882 अथवा विधि के अधीन प्राधिकृत किन्हीं प्रतिभूतियों में लगायी जायेगी, परन्तु इस पर शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(झ) समस्त आय-व्ययों का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ञ) अकादमी से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं, प्रस्तावों, आदि का परीक्षण तथा उनका प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए भाषा मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

17. लेखा परीक्षण:-

अकादमी के लेखे का परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा उत्तराखण्ड शासन या शासन द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था से कराया जाएगा, जिसकी संपरीक्षा रिपोर्ट भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भेजी जाएगी।

18. अन्य प्रकीर्ण उपबन्ध-

(क) अकादमी से संबंधित सभी संविदायें और अन्य लिखित अकादमी की ओर से निदेशक द्वारा निष्पादित किये जायेगें।

(ख) उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी अपने निदेशक के माध्यम से उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी के नाम से वाद चलाएगी और इसी नाम से इसके विरूद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

(ग) अकादमी समुचित लेखा और अन्य संगत अभिलेख रखेगी।

(घ) अकादमी के कार्यालय के लिए अकादमी द्वारा तब तक कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके प्रस्ताव पर शासन स्तर से अनुमोदन न प्राप्त कर लिया जाए। इस प्रकार सृजित समूह क एवं समूह ख तक के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्त प्राधिकारी उत्तराखण्ड शासन होगा तथा समूह ग एवं घ के पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्त प्राधिकारी निदेशक, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी होंगें। इन पदों पर नियुक्ति नियमानुसार ही की जाएगी।

(ङ) अकादमी के निदेशक के पास 15 हजार रूपये (15 हजार रूपये मात्र) का अग्रदाय लेखा रखा जाएगा।

(च) संस्थान, कार्यकारिणी समिति अथवा संस्थान या कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार या उत्तराखण्ड सरकार के कर्मचारी अथवा परिनियत निकायों के सदस्य या कार्यकर्ता अकादमी अथवा प्रबन्धकारिणी समिति या समितियों की बैठकों में उपस्थित होने अथवा अकादमी या प्रबन्धकारिणी समिति के कार्य के निमित की गई यात्राओं के संबंध में यात्रा-भत्ता, दैनिक-भत्तों एवं ठहरने आदि के संबंध में समस्त व्यय उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी द्वारा किया जाएगा। उल्लिखित

सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों, अधिकारियों/कर्मचारियों का संबंध है, उ… यात्रा-भत्ता, दैनिक-भत्ता रहने-ठहरने आदि के संबंध में व्यय उर्दू अकाद… द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त व्यवस्था मुख्यालय को आने वाले सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एवं मुख्यालय से बाहर जाने हेतु अनुमन्य होगी। मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अकादमी के कार्य हेतु मुख्यालय की सीमा में ही यात्रा करने के लिए यात्रा-भत्ता नियमानुसार ही देय होगा।

(छ) अकादमी की किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किसी भी रीति में है जैसी भी व्यवस्था हो राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अधिनियम के प्राविधानों के अधीन किया जाएगा।

(ज) राज्य सरकार अकादमी की कार्य और प्रगति की समीक्षा के लिए और तत्संबंधी मामलों में जांच आयोजित करने तथा उस पर ऐसी रीति से जैसा कि राज्य सरकार नियत करे रिपोर्ट प्रस्तुत कराने के लिए एक या उससे अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है। ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार रिपोर्ट में व्यवहृत किसी भी मामले में ऐसी कार्यवाही कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे और अकादमी ऐसे निर्देशों के पालन करने के लिए बाध्य होगी।

(झ) अकादमी के साधारण सभा अथवा उसकी कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य, पदाधिकारी, ऐसे सदस्य या पदाधिकारी के रिश्तेदार, ऐसी भागीदारी फर्म जिसमें ऐसा सदस्य या पदाधिकारी अथवा उसके रिश्तेदार भागीदार हों, ऐसी कम्पनी जिसमें ऐसा सदस्य या पदाधिकारी स्वयं अंशधारी हो या उसके रिश्तेदार अंशधारी हो या कम्पनी से जुड़े हो या वह कम्पनी के निदेशक हो, के साथ किसी माल या सामग्री के विक्रय, क्रय या आपूर्ति के निमित अकादमी के पक्ष में या उसकी ओर से न तो कोई संविदा की जाएगी और न ही कोई वित्तीय अनुबंध किया जाएगा।

(ञ) अकादमी के कार्यकलापों के संपादन से संबंधित ऐसे मामले जिसमें राज्य की सुरक्षा अथवा पर्याप्त जनहित निहित हो, के संबंध में राज्य सरकार समय-समय पर अकादमी को निर्देश दे सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ऐसे निर्देश भी अकादमी को दे सकती है जो वित्तीय मामलों में आवश्यक पाया जाए। अकादमी उक्त निर्देशों को तात्कालिक प्रभाव से क्रियान्वित करेगी।

राज्य सरकार अकादमी की संपत्तियों और उसके कार्यकलापों से संबंधित ऐसे विवरण लेखे तथा अन्य सूचना की मांग कर सकती है जिसकी उन्हें समय-समय पर आवश्यकता हो।

(ट) यदि अकादमी समुचित रूप से कार्य नहीं करती है तो राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह अकादमी के आस्तियों/शक्तियों/दायित्वों को अपने अधिकार में ले ले।

(ठ) यदि अकादमी की परिसमाप्त होने या भंग हाने पर उसके ऋणों और देयों के निस्तारण के पश्चात कोई धनराशि या सम्पत्ति शेष रहती है तो उसका भुगतान या परिदान अकादमी के किसी सदस्य को नहीं किया जायेगा बल्कि

SINGHU.GLETTER

उनका निस्तारण इस प्रकार से किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार नियम के अनुसार इस निमित नियत करें।

(ढ) यह अकादमी शासन द्वारा प्रख्यापित नियमों/विनियमों/प्रकियों के अधीन ही कार्य करेगी।

19\. **अकादमी के अभिलेख :–**

अकादमी के कार्यालय में निम्नलिखित अभिलेख रखे जायेगें :–

(क) बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त को अभिलिखित करने वाला रजिस्टर।
(ख) स्टाक रजिस्टर।
(ग) लेखा बही।
(घ) सदस्यता रजिस्टर।
(ङ) प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा निर्धारित/अभिलिखित अन्य अभिलेख।
(च) दान/अनुदान रजिस्टर।
(छ) योजनाओं से संबंधित पृथक–पृथक रजिस्टर।
(ज) निदेशक द्वारा अभिलिखित कराये गये आवश्यकतानुसार अन्य रजिस्टर।

20\. **अकादमी के पदों एवं उनके दायित्व :–**

अकादमी में एक उप निदेशक के अतिरिक्त अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी होगें। इनका सृजन शासन द्वारा अपने विवके से किया जाएगा। अकादमी में वित विभाग द्वारा एक वित अधिकारी की तैनाती की जाएगी जो अकादमी के समुचित लेखा तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उत्तरदायी होगा। यह लेखे का वार्षिक विवरण बैलेन्सशीट तथा अन्य अर्थ संबंधी कार्य करेगा। वित्त अधिकारी अकादमी के नियमों का पालन करेगा। किन्तु आहरण तथा वितरण का अधिकार निदेशक (प्रमुख सचिव/सचिव पदेन)/प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष में निहित होगा। निदेशक (प्रमुख सचिव/सचिव पदेन)/प्रबन्धकारिणी के अध्यक्ष व्यय संबंधी मामलों में अन्तिम निर्णय लेने के अधिकारी होगें।

जब तक अकादमी का संगठनात्मक ढांचा को अन्तिम करने पदों के सृजन, अर्हताओं के निर्धारण आदि संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक प्रमुख सचिव/सचिव अपने अग्रिम आदेशों तक शासन स्तर पर भाषा विभाग के अधिकारियों में से, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान/उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी के किसी अधिकारी को निदेशक की समस्त या आंशिक शक्तियां एवं दायित्व का प्रतिनिधायन कर सकेगें। उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी के सुचारू रूप से संचालन हेतु उपरोक्त कार्यवाही होने तक उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं हिन्दी अकादमी के कर्मचारी/अधिकारी उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी के कार्यो एवं दायित्वों का निर्वाहन करेगें। इसके लिए प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन एक आदेश द्वारा एक निर्धारित अवधि तक निर्देश दे सकेगें।

आज्ञा से

(डी०एस० ब्याल)
सचिव

संख्याः (1)/xxxix/09(सा0)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्याः 616 (1)/xxxix/09(सा0)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 भाषा मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5– सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– महालेखाकार, ऑडिट, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
9– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10– निबन्धक, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तराखण्ड, बंगाली मोहल्ला, देहरादून।
11– सचिव, डॉ0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संलग्नक -04

(138)

उत्तराखण्ड शासन
भाषा विभाग
संख्या-618/xxxix/-08(सा0)/2013
देहरादूनः दिनांक 27 जुलाई, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 345 और 351 तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के साथ-साथ भारतीय भाषाओं के विकास और उसके संवर्धन हेतु भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन पंजाबी अकादमी की स्थापना के उद्देश्य एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: अर्थात्-

उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी नियमावली, 2013

1. अकादमी का नामः-

इस अकादमी का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी नियमावली, 2013" है।

2. मुख्यालयः-

अकादमी का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर राज्य की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन किया जा सकेगा।

3. अकादमी का कार्य क्षेत्रः-

सामान्यतया अकादमी का कार्य क्षेत्र उत्तराखण्ड का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा।

4. परिभाषायें:-

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:-

(क) अकादमी से उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी अभिप्रेत है,
(ख) अध्यक्ष से उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी के अध्यक्ष अभिप्रेत हैं,
(ग) अधिनियम से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अभिप्रेत है,
(घ) कार्यकारी अध्यक्ष से उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष अभिप्रेत हैं,
(ङ.) निदेशक से उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी के निदेशक अभिप्रेत हैं,
(च) कार्यकारिणी समिति से उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत हैं,
(छ) शासन से उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत हैं,
(ज) वित्तीय वर्ष से माह अप्रैल के पहली तारीख से प्रारंभ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष की मार्च 31 को समाप्त होने वाले वर्ष अभिप्रेत हैं,
(झ) उपाध्यक्ष से उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी के उपाध्यक्ष अभिप्रेत हैं,
(ञ) साधारण सभा से उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी की साधारण सभा अभिप्रेत हैं,

01

23/07/2013

5. अकादमी का संगठन एवं उद्देश्यः–

(क) उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी, उत्तराखण्ड शासन की कार्यदायी संस्था के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में कार्य करेगी और पंजाबी भाषा सम्बन्धी योजनाओं एवं कियाकलापों का संचालन करेगी।

(ख) इस अकादमी में पंजाबी भाषा/बोली के साहित्य का प्रकाशन एवं प्रोत्साहन का कार्य किया जाएगा। पंजाबी बोली/भाषा के शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार एवं संरक्षण की व्यवस्था करना, उसके साहित्य को प्रोत्साहन देना।

(ग) अकादमी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्टर्ड एक निकाय होगी, उसकी स्थाई सील होगी और उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी के नाम से संस्थान का संचालन किया जायेगा या संस्थान चल सकता है। अकादमी के सभी कार्यकलाप सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के प्राविधानों के अधीन रहते हुए शासन द्वारा स्थापित नियमों/विनियमों के अनुसार किए जायेगें।

(घ) अकादमी किसी भी राजनैतिक अथवा साम्प्रदायिक संगठन से सम्बद्व नही रहेगी और न ही किसी असामाजिक अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेगी।

(ङ.) भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों को पंजाबी भाषा के मौलिक, साहित्यिक एवं शैक्षिक रचनाओं में प्रोत्साहित एवं प्रकाशित करना, बच्चों के लिए भी पुस्तकों का प्रकाशन करना तथा उच्च स्तर के पंजाबी में हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता शासन द्वारा या शासन की अनुमति से स्थापित नियमों/विनियमों के अन्तर्गत प्रदान करना।

(च) भारत में पंजाबी भाषा, संस्कृति तथा साहित्य व कला के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता सम्मेलनों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा राष्ट्रीय कार्यकमों का आयोजन करना तथा उत्तराखण्ड की भाषाई संस्कृति के अनिवार्य अंग के रूप में पंजाबी भाषा एवं साहित्य का परीक्षण एवं अभिवृद्धि करना।

(छ) राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य से पंजाबी भाषा तथा साहित्य को बढ़ावा देने हेतु अन्य ठोस कार्य करना।

(ज) राज्य के साहित्यकारों के दुर्लभ साहित्य, अप्राप्त साहित्यिक, उत्कृष्ट और उपयोगी साहित्य, शोध ग्रन्थ का पुनः प्रकाशन किया जाना। अप्रकाशित पाण्डुलिपियों का प्रकाशन करना अथवा प्रकाशन में सहयोग करना।

(झ) दुर्लभ पुस्तकों को निःशुल्क, दान अथवा मूल्य देकर प्राप्त करना, शोधार्थियों को दुर्लभ पुस्तकों की छाया प्रतियां मूल्य लेकर उपलब्ध कराना एवं दुर्लभ पुस्तकों की पुनःप्रकाशन की व्यवस्था करना।

(ञ) प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना तथा स्मृति चिन्ह, पुस्तकें आदि प्रदान करना, जिसे शासन या शासन की अनुमति से स्थापित विनियमों से निश्चित करें।

(ट) राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत स्वयं सेवी पंजाबी साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं संस्थाओं से वैचारिक आदान–प्रदान करना तथा

उनकी पंजाबी भाषा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक योजनाओं के अनुसार सहायता करना। अनुवाद/प्रकाशन में अनुदान या विपणन में सहायता प्रदान करना।

(ठ) साहित्यकारों को स्थापित पुरस्कार नियमावली के प्राविधान के अन्तर्गत सम्मानित और पुरस्कृत करना।

(ड) पंजाबी भाषा एवं बोली का मानकीकरण करना।

(ढ) पंजाबी भाषा एवं बोली के शब्दकोश निर्माण एवं प्रकाशन करना।

(ण) पंजाबी भाषा में रचित साहित्य भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की व्यवस्था करना।

(त) पंजाबी भाषा के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना तथा पंजाबी के बुजुर्गों एवं जरूरतमंद लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(थ) पंजाबी भाषा के अध्येयताओं को उच्च अध्ययन के लिये अकादमी द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट समय के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना। इन नियमों के अधीन प्रकाशित सामग्री की बिकी की व्यवस्था करना।

(द) अकादमी अथवा उसकी किसी सम्पत्ति का उपयोग राजनैतिक अथवा राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा।

(ध) अकादमी के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसके हितों की पूर्ति हेतु केन्द्र अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्तियों से आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति, अनुदान, संविदा, अनुज्ञप्तियों, अधिकार, रियायत, विशेषाधिकार या उन्मुक्तियाँ प्राप्त करना, जिन्हें अकादमी द्वारा वांछनीय समझा जाये, प्राप्त करने के केन्द्र अथवा राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के साथ व्यवस्था करना और किसी भी ऐसी व्यवस्था का प्रयोग तथा अनुपालन करना, इस संबंध में शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

(न) किसी भी प्रकार के दान आदि को स्वीकार करना तथा ऐसे दानों को लेखाबद्ध करना तथा शासन के तत्काल संज्ञान में लाना।

(प) कोई ऐसे अन्य कार्य करना जो अकादमी के उपरोक्त सभी उद्देश्यों या किसी उद्देश्य की पूर्ति या उनसे सम्बन्धित प्रासंगिक कार्यों के लिए उपयोगी तथा आवश्यक हों।

(फ) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिन कार्यों के लिए नियम/विनियम/ प्रकियायें स्थापित नहीं हैं, उसके लिए नियम/विनियमों की स्थापना शासन स्तर पर कराना।

6. अकादमी की सदस्यता–

(क) अकादमी की समितियों के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तथा इनका मनोनयन समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा तथा राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। राज्य सरकार बिना पूर्व सूचना के कभी भी मनोनीत सदस्यों को अपने विवेकाधीन हटा सकेगी।

(ख) राज्य सरकार किसी पूर्व सूचना के समितियों का पुनर्गठन अपने विवेक से कर सकेगी।

7. सदस्यों का कार्यकाल तथा सदस्यता की समाप्ति–

(क) पदेन सदस्य तब तक अकादमी के सदस्य बने रहेगें जब तक वे उस पद पर रहेगें, जिस पद पर बने रहने के कारण उन्हें अकादमी का सदस्य नियुक्त किया गया था।

(ख) समितियों के गैर सरकारी सदस्यों (मनोनीत सदस्यों) का कार्यकाल उनके नामांकन के दिनांक से तीन वर्ष तक होगा परन्तु सदस्यों का कार्यकाल शासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के स्वयं अपने विवेक से, शिकायत या निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा पहले भी समाप्त किया जा सकता है। यदि उनका कार्यकाल इस नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पहले ही समाप्त कर दिया गया हो तो ऐसे सदस्य अकादमी में निर्धारित समय तक अपने पद पर बने रहेंगे, यदि राज्य सरकार उचित समझती है तो सदस्यों का कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।

(ग) कोई सरकारी सदस्य अकादमी का सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह त्यागपत्र दे देता है, पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है तथा किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, जिसमें नैतिक आचरण अर्न्तग्रस्त हो। यदि कोई गैर सरकारी सदस्य पर्याप्त कारण की सूचना दिये बगैर अकादमी की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उसे हटाया जा सकता है। इस संबंध में किसी विभाग की स्थिति में शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(घ) गैर सरकारी सदस्यता की यदि कोई आकस्मिक रिक्ति होने पर उस रिक्ति को उत्तराखण्ड शासन द्वारा भरा जाएगा, किन्तु यह प्रतिबन्ध है कि ऐसी रिक्त को भरे जाने हेतु नामित सदस्य का कार्यकाल उससे पूर्व सदस्य के शेष कार्यकाल तक ही होगा।

(ड.) यदि कोई गैर सरकारी सदस्य अकादमी की सदस्यता को त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र अकादमी के अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा तथा अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात वह प्रभावी होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र कार्यकारी अध्यक्ष को प्रेषित करेगा और कार्यकारी अध्यक्ष अपने मन्तव्य के साथ उसे अध्यक्ष को भेजेगा तथा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने पर त्याग–पत्र प्रभावी होगा।

(च) अकादमी की सदस्यता में किसी के रिक्त होने पर और उसके किसी सदस्य के नामांकन में त्रुटि होने पर भी अकादमी कार्यशील रहेगी तथा अकादमी का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अवैध नहीं होगी कि उसकी सदस्यता में कोई रिक्त है या उसके किसी सदस्य के नामांकन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है।

8. साधारण सभा–

(1) अकादमी के साधारण सभा में निम्नलिखित सदस्य एवं पदाधिकारी होंगे–

(क) मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (पदेन)	– अध्यक्ष
(ख) मा0 भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड (पदेन)	– कार्यकारी अध्यक्ष
(ग) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत महानुभाव	– उपाध्यक्ष
(घ) प्रमुख सचिव / सचिव, भाषा, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(ङ) प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(च) प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(छ) राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तराखण्ड के किसी एक (01) विश्वविद्यालय के कुलपति	– सदस्य
(ज) राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के भाषाविद् छः (06) सदस्य, जिन्होंने पंजाबी भाषा में विशिष्ट कार्य किया हो या पंजाबी का विशिष्ट ज्ञान हो	– सदस्य
(झ) निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान	– सदस्य
(ञ) वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी	– सदस्य
(ट) निदेशक, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी	– सदस्य सचिव

(2) बैठक आयोजित करने के लिए सदस्यों को 15 दिन पूर्व लिखित रूप में नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को कम किया जा सकता है।

(3) बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया गया निर्णय अकादमी का निर्णय माना जायेगा। सभी मामले बहुमत से तय होंगे परन्तु किसी भी प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मतों की समानता में अध्यक्ष एवं उसकी अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष का एक निर्णायक मत होगा। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही सदस्य सचिव द्वारा अभिलिखित की जाएगी तथा कार्यवाही की एक प्रति उत्तराखण्ड शासन तथा अकादमी के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। उपाध्यक्ष अपना प्रस्ताव / मन्तव्य अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे परन्तु मत देने का अधिकार उपाध्यक्ष को नहीं होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त शक्तियां एवं दायित्व कार्यकारी अध्यक्ष में अन्तर्निहित होंगे।

(4) साधारण सभा की सभी वार्षिक सामान्य बैठक में पूर्ववर्ती वर्ष में अकादमी द्वारा सम्पन्न किये गये कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा भावी कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

(5) बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष से सम्भावित आय और व्यय तथा चालू वर्ष की अनुपूरक मांगो पर विचार किया जाएगा।

(6) बैठक में कमेटी की बैंलेस सीट तथा ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

(7) इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य ऐसे प्रकरण पर विचार किया जाएगा जो अध्यक्ष एवं उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा।

9. साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति:–

अकादमी के कार्य सम्पादन के लिए वर्ष में कम से कम एक बैठक साधारण सभा की होगी जिसकी गणपूर्ति दो–तिहाई होगी, जिसमें अकादमी का बजट प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तुत और पारित किया जाएगा। साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति हेतु दो–तिहाई की संख्या आवश्यक होगी। बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी। आकस्मिक बैठक अल्पकालिक समय में आहूत की जा सकेगी।

10. प्रबन्धकार्यकारिणी समिति:–

(1) अकादमी की कार्यकारिणी समिति की नियम–9 के उपनियम (1) में उल्लिखित साधारण सभा के पदेन सदस्यों एवं गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करके निम्नलिखित ढंग से गठित किया जायेगा। पदेन सदस्यों एवं गैर सरकारी सदस्यों की सम्मिलित संख्या निम्न होगी–

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा, उत्तराखण्ड शासन	– अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(घ) राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के भाषाविद् तीन (03) सदस्य, जिन्होंने पंजाबी में विशिष्ट ज्ञान हो या विशिष्ट कार्य किया हो	– सदस्य
(ड.) निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान	– सदस्य
(च) वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी	– सदस्य
(छ) निदेशक, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी	– सदस्य सचिव

(2) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी किन्तु अध्यक्ष स्वेच्छा से अथवा कम से कम चार सदस्यों की विशेष मांग/अनुरोध पर (बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव सहित) विशेष बैठक बुला सकेंगे।

11. कार्यकारिणी समिति की बैठके के लिए गणपूर्ति–

अकादमी के कार्य सम्पादन के लिए त्रैमासिक रूप से न्यूनतम एक बैठक प्रबन्धकार्यकारिणी की होगी जिसकी गणपूर्ति दो–तिहाई होगी, जिसमें अकादमी का बजट साधारण सभा के अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तुत और पारित किया जाएगा। प्रबन्धकार्यकारिणी की बैठक के लिए गणपूर्ति हेतु दो–तिहाई की संख्या आवश्यक होगी। बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी। आकस्मिक बैठक अल्पकालिक समय में आहूत की जा सकेगी।

12. कार्यकारी समिति के कार्य और अधिकार–

(क) कार्यकारिणी समिति पंजाबी भाषा की उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन के संबंध में शासन स्तर से निर्गत नियम/विनियमों के तहत् नीतिगत् मामलों पर अकादमी के निर्णयों को लागू करेगी तथा अकादमी के कार्यों को चलाने की व्यवस्था करेगी।

(ख) नियम–6 में यथाविनिर्दिष्ट अकादमी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक सभी कार्यों को स्थापित नियमों/विनियमों के अन्तर्गत करने का दायित्व कार्यकारिणी समिति को प्राप्त होगा।

(ग) उत्तराखण्ड शासन का अनुमोदन प्राप्त करके अकादमी के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण, सेवामुक्ति आदि करना तथा उनकी सेवा शर्तें निर्धारित कराना।

(घ) अकादमी के सामान्य अथवा विशिष्ट कार्यों हेतु एक या अधिक उप समितियों को गठित करना।

(ङ) अपने कार्य संचालन और प्रशासन के लिए समय–समय पर नियम प्रख्यापित करना, इनका अनुपालन करना, उनमें परिवर्तन करना।

(च) अकादमी के प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त धन का एक रिवाल्विंग फण्ड बैंक में रखना तथा उसका समुचित उपयोग करना।

(छ) अकादमी के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को क्रय करना, विनियम में लेना अथवा अर्जित करना या उसका निस्तारण करना अथवा सम्पत्ति को दान स्वरूप प्राप्त करना तथा कार्योपरान्त इसकी सूचना राज्य सरकार को देना।

(ज) अन्य ऐसे समस्त कार्य करना, जो अकादमी के उद्देश्यों एवं कर्तव्यों की पूर्ति में सहायक हो या अकादमी को सौंपे जायें।

(झ) कार्यकारी समिति एवं अकादमी शासन द्वारा प्रख्यापित नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं आदि के अधीन/अन्तर्गत कार्य करेगी।

13. पदाधिकारी एवं उनके अधिकार और कर्तव्य–

(क) कार्यकारी अध्यक्षः–

संस्था की साधारण सभा अथवा उसकी किसी उपसमिति की बैठक या सभापति/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष/सभापति के दायित्व का निर्वाहन करेंगे। बैठक के संचालन में किसी नियम के प्रश्न पर अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष जैसी स्थिति हो द्वारा दी गई व्यवस्था अंतिम तथा मान्य होगी।

(ख) उपाध्यक्षः–

अकादमी का एक उपाध्यक्ष होगा, जिसे उत्तराखण्ड शासन द्वारा नियम 9(1) (ग) के तहत् पंजाबी भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त या तीन वर्ष जो भी पहले घटित हो, की अवधि के लिए नामित किया जायेगा यथापि शासन द्वारा इसके पहले भी नामांकन रद्द किया जा सकेगा। यदि नामांकन नहीं किया जाता और कार्यकाल समाप्ति तक पुनर्नामांकन या उसके स्थान पर नये पदाधिकारी का नामांकन आदेश शासन

द्वारा किन्हीं कारणों से पारित नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कार्यरत् प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन के अग्रिम आदेशों तक उपाध्यक्ष का कार्य देखते रहेगें।

(ग) निदेशक– भाषा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव पदेन निदेशक और अकादमी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे। अकादमी के प्रशासनिक, वित्तीय एवं विधिक मामलों से संबंधित कार्य नियमों के अधीन निदेशक (प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, पदेन निदेशक) द्वारा उनके परामर्श एवं निर्देशों के अधीन किया जाएगा। निदेशक के निम्नलिखित कार्य होंगे–

(1) अकादमी का निदेशक साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति और उसकी उपसमिति का सचिव होगा तथा वह अध्यक्ष या कार्यकारिणी अध्यक्ष जैसे स्थिति हो, के परामर्श से बैठकें आयोजित करेगा तथा बैठकों का कार्यवृत्त भी अभिलिखित करेगा और उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(2) अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश और मार्गदर्शन के अधीन शासन द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निदेशक अकादमी के समुचित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) निदेशक वार्षिक प्रतिवेदन लेखा और बजट आदि उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित रूप में तैयार करने तथा उन्हें संबंधित अधिकारियों/शासन को भेजने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) निदेशक कर्मचारियों के कर्त्तव्य निर्धारण करेगा और आवश्यक पर्यवेक्षण और अनुशासनिक नियंत्रण बनाये रखेगा।

(5) निदेशक अकादमी की ओर से पत्र व्यवहार करेगा तथा शासन के विभिन्न विभागों और अन्य निकायों से सम्पर्क स्थापित करेगा।

(6) इसके अतिरिक्त अन्रू कोई कार्य जो शासन या कार्यकारिणी अध्यक्ष द्वारा सौंपा जाये।

(7) अकादमी की ओर से वचन–पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित और हस्तान्तरित करना और चेकों तथा अन्य पराक्रम्य लिखित, (निगोशिऐबिल इन्सट्रूमेन्ट्स) पृष्ठांकित और परिक्रमित करेगा।

(8) अकादमी द्वारा या अकादमी के विरूद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही संस्थित करना, संचालित करना, प्रतिवाद करना या अकादमी द्वारा अकादमी के विरूद्ध किसी दावा या मांग के भुगतान या समाधान के लिए निपटारा भी करना और समय की अनुमति देना।

(9) निदेशक अपने दायित्वों एवं शक्तियों को आंशिक या किसी सीमा तक अकादमी के किसी नियमित या शासन एवं प्रशासन के अधिकारी को प्रतिनिधायन कर सकेंगे।

14. कार्य संचालन एवं विनियम/नियम–

अकादमी अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वाहन शासन द्वारा प्रख्यापित नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं के तहत् करेगा। अकादमी का वित्तीय एवं प्रशासकीय नियंत्रण

शासन के अधीन होगा। अकादमी शासन द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन करेगा। कार्यकारिणी का यह दायित्व होगा कि वह अपने कार्य को चलाने के लिए शासन स्तर पर ऐसे विनियम बनाने का प्रस्ताव भेंजे जो नियमावली से एवं शासन द्वारा पूर्व प्रख्यापित नियमों/विनियमों से विरोधाभाषी न हो।

15. नियमों व विनियमों के संशोधनः–

अकादमी की इस नियमावली में संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार मात्र शासन को होगा परन्तु अकादमी भी संशोधन कर सकेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी नियम संशोधित या परिवर्तित नहीं होगा जब तक उसे साधारण सभा में उपस्थित कम से कम दो तिहाई सदस्य एवं पदाधिकारी अनुमोदित न कर दें तथा आगे यह भी प्रतिबन्ध है कि कोई भी संशोधन या परिवर्तन तब तक कार्यान्वित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पर शासन का अनुमोदन प्राप्त न हो जाये।

16. अकादमी की निजी सम्पत्ति तथा उसका रख–रखावः–

अकादमी की निधि तथा सम्पत्ति निम्नलिखित होगीः–

(क) दान–अनुदान अथवा दोनों जो केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य विधिमान्य संस्था या व्यक्ति से प्राप्त हो।

(ख) पंजाबी समुदाय से प्राप्त चल व अचल सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त धनराशि।

(ग) अकादमी द्वारा अर्जित किसी सम्पत्ति से आय।

(घ) अकादमी की समस्त सम्पत्ति जो उसने क्रय करके या अन्य प्रकार से प्राप्त की हो या स्वयं निर्मित की हो या उसे केन्द्रीय तथा किसी संस्था अथवा व्यक्ति से प्राप्त हुई हो।

(ङ) उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी की चल–अचल सम्पत्ति का रख–रखाव निदेशक द्वारा किया जायेगा तथा शासन व अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशियों या सम्पत्तियों को निदेशक द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा उसे नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

(च) अकादमी द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियाँ शासन द्वारा अनुमोदित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा लेखे में अथवा कोषागार में व्यक्तिगत लेजर लेखे में अथवा शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये सामान्य व विशिष्ट निर्देशों के अनुसार जमा की जायेगी। धनराशि की आहरण निदेशक तथा वित्त अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(छ) अकादमी की सम्पत्ति से आय का उपयोग उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा तथा समस्त ऐसे व्यय जमा धनराशियों पर प्राप्त ब्याज एवं शासन से प्राप्त अनुदान की धनराशि तक ही सीमित रहेंगे।

(ज) जिस धनराशि की अकादमी को तुरन्त आवश्यकता न होगी वह भारतीय न्याय अधिनियम, 1882 अथवा विधि के अधीन प्राधिकृत किन्हीं प्रतिभूतियों में लगायी जायेगी, परन्तु इस पर शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(झ) समस्त आय-व्ययों का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ञ) अकादमी से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं, प्रस्तावों, आदि का परीक्षण तथा उनका प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए मा0 भाषा मंत्री जी को प्रस्तुत किया जाएगा।

17. लेखा परीक्षणः-

अकादमी के लेखे का परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा उत्तराखण्ड शासन या शासन द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था से कराया जाएगा, जिसकी संपरीक्षा रिपोर्ट भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भेजी जाएगी।

18. अन्य प्रकीर्ण उपबन्ध-

(क) अकादमी से संबंधित सभी संविदायें और अन्य लिखित अकादमी की ओर से निदेशक द्वारा निष्पादित किये जायेगें परन्तु इस पर शासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई हो।

(ख) उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी अपने निदेशक के माध्यम से उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी के नाम से वाद चलाएगी और इसी नाम से इसके विरूद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

(ग) अकादमी समुचित लेखा और अन्य संगत अभिलेख रखेगी।

(घ) अकादमी के कार्यालय के लिए अकादमी द्वारा तब तक कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके प्रस्ताव पर शासन स्तर से अनुमोदन न प्राप्त कर लिया जाए। इस प्रकार सृजित समूह क एवं समूह ख तक के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्त प्राधिकारी उत्तराखण्ड शासन होगा तथा समूह ग एवं घ के पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्त प्राधिकारी निदेशक, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी होंगे। इन पदों पर नियुक्ति नियमानुसार ही की जाएगी।

(ङ.) अकादमी के निदेशक के पास 15 हजार रूपये (15 हजार रूपये मात्र) का अग्रदाय लेखा रखा जाएगा।

(च) संस्थान, कार्यकारिणी समिति अथवा संस्थान या कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार या उत्तराखण्ड सरकार के कर्मचारी अथवा परिनियत निकायों के सदस्य या कार्यकर्ता अकादमी अथवा प्रबन्धकारिणी समिति या समितियों की बैठकों में उपस्थित होने अथवा अकादमी या प्रबन्धकारिणी समिति के कार्य के निमित की गई यात्राओं के संबंध में यात्रा-भत्ता, दैनिक-भत्तों एवं ठहरने आदि के संबंध में समस्त व्यय उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी द्वारा किया जाएगा। उल्लिखित सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों, अधिकारियों/कर्मचारियों का संबंध है, उनके यात्रा-भत्ता, दैनिक-भत्ता रहने-ठहरने आदि के संबंध में व्यय पंजाबी अकादमी द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त व्यवस्था मुख्यालय को आने वाले सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एवं मुख्यालय से बाहर जाने हेतु अनुमन्य होगी। मुख्यालय पर कार्यरत्

अधिकारियों/कर्मचारियों को अकादमी के कार्य हेतु मुख्यालय की सीमा में ही यात्रा करने के लिए यात्रा–भत्ता नियमानुसार ही देय होगा।

(छ) अकादमी की किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किसी भी रीति में है जैसी भी व्यवस्था हो राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अधिनियम के प्राविधानों के अधीन किया जाएगा।

(ज) राज्य सरकार अकादमी की कार्य और प्रगति की समीक्षा के लिए और तत्संबंधी मामलों में जांच आयोजित करने तथा उस पर ऐसी रीति से जैसा कि राज्य सरकार नियत करें रिर्पोट प्रस्तुत कराने के लिए एक या उससे अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है। ऐसी किसी रिर्पोट की प्राप्ति पर राज्य सरकार रिर्पोट में व्यवहृत किसी भी मामले में ऐसी कार्यवाही कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे और अकादमी ऐसे निर्देशों के पालन करने के लिए बाध्य होगी।

(झ) अकादमी के साधारण सभा अथवा उसकी कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य, पदाधिकारी, ऐसे सदस्य या पदाधिकारी के रिश्तेदार, ऐसी भागीदारी फर्म जिसमें ऐसा सदस्य या पदाधिकारी अथवा उसके रिश्तेदार भागीदार हों, ऐसी कम्पनी जिसमें ऐसा सदस्य या पदाधिकारी स्वयं अंशधारी हो या उसके रिश्तेदार अंशधारी हो या कम्पनी से जुडे हो या वह कम्पनी के निदेशक हो, के साथ किसी माल या सामग्री के विक्रय, क्रय या आपूर्ति के निमित अकादमी के पक्ष में या उसकी ओर से न तो कोई संविदा की जाएगी और न ही कोई वित्तीय अनुबंध किया जाएगा।

(ञ) अकादमी के कार्यकलापों के संपादन से संबंधित ऐसे मामले जिसमें राज्य की सुरक्षा अथवा पर्याप्त जनहित निहित हो, के संबंध में राज्य सरकार समय–समय पर अकादमी को निर्देश दे सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ऐसे निर्देश भी अकादमी को दे सकती है जो वित्तीय मामलों में आवश्यक पाया जाए। अकादमी उक्त निर्देशों को तात्कालिक प्रभाव से कियान्वित करेगी।

राज्य सरकार अकादमी की संपत्तियों और उसके कार्यकलापों से संबंधित ऐसे विवरण लेखे तथा अन्य सूचना की मांग कर सकती है जिसकी उन्हें समय–समय पर आवश्यकता हो।

(ट) यदि अकादमी समुचित रूप से कार्य नहीं करती है तो राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह अकादमी के आस्तियों/शक्तियों/दायित्वों को अपने अधिकार में ले ले।

(त) यदि अकादमी की परिसमाप्त होने या भंग होने पर उसके ऋणों और देयों के निस्तारण के पश्चात् कोई धनराशि या सम्पत्ति शेष रहती है तो उसका भुगतान या परिदान अकादमी के किसी सदस्य को नहीं किया जायेगा बल्कि उनका निस्तारण इस प्रकार से किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार नियम के अनुसार इस निमित नियत करें।

(ब) यह अकादमी शासन द्वारा प्रख्यापित नियमों/विनियमों/प्रकियों के अधीन ही कार्य करेगी।

19. **अकादमी के अभिलेख :-**

अकादमी के कार्यालय में निम्नलिखित अभिलेख रखे जायेगें :-

(क) बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त को अभिलिखित करने वाला रजिस्टर।
(ख) स्टाक रजिस्टर।
(ग) लेखा बही।
(घ) सदस्यता रजिस्टर।
(ङ) प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा निर्धारित/अभिलिखित अन्य अभिलेख।
(च) दान/अनुदान रजिस्टर।
(छ) योजनाओं से संबंधित पृथक-पृथक रजिस्टर।
(ज) निदेशक द्वारा अभिलिखित कराये गये आवश्यकतानुसार अन्य रजिस्टर।

20. **अकादमी के पदों एवं उनके दायित्व :-**

अकादमी में एक उप निदेशक के अतिरिक्त अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी होगें। इनका सृजन शासन द्वारा अपने विवके से किया जाएगा। अकादमी में वित विभाग द्वारा एक वित अधिकारी की तैनाती की जाएगी जो अकादमी के समुचित लेखा तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उत्तरदायी होगा। यह लेखे का वार्षिक विवरण बैलेन्सशीट तथा अन्य अर्थ संबंधी कार्य करेगा। वित्त अधिकारी अकादमी के नियमों का पालन करेगा। किन्तु आहरण तथा वितरण का अधिकार निदेशक (प्रमुख सचिव/सचिव पदेन)/प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष में निहित होगा। निदेशक (प्रमुख सचिव/सचिव पदेन)/प्रबन्धकारिणी के अध्यक्ष व्यय संबंधी मामलों में अन्तिम निर्णय लेने के अधिकारी होगें।

जब तक अकादमी का संगठनात्मक ढांचा को अन्तिम करने पदों के सृजन, अर्हताओं के निर्धारण आदि संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक प्रमुख सचिव/सचिव अपने अग्रिम आदेशों तक शासन स्तर पर भाषा विभाग के अधिकारियों में से, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान/उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी के किसी अधिकारी को निदेशक की समस्त या आंशिक शक्तियां एवं दायित्व का प्रतिनिधायन कर सकेगें। उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी के सुचारू रूप से संचालन हेतु उपरोक्त कार्यवाही होने तक उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं हिन्दी अकादमी के कर्मचारी /अधिकारी उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वाहन करेगें। इसके लिए प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन एक आदेश द्वारा एक निर्धारित अवधि तक निर्देश दे सकेंगे।

आज्ञा से

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव

संख्या 618 (1)/xxxix/08(सा0)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निदेशक, फोटालिथो प्रेस, रूडकी (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या 618 (1)/xxxix/09(सा0)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 भाषा मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5– सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– महालेखाकार, ऑडिट, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
9– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10– निबन्धक, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तराखण्ड, बंगाली मोहल्ला, देहरादून।
11– सचिव, डॉ0 पीताम्बर दत्त बडथ्वाल हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संलग्नक-05

उत्तराखण्ड शासन
भाषा विभाग
संख्या– /xxxix/2016-01(सा0)/2016
देहरादूनः दिनांकः10, अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 345 और 351 तथा आठवीं अनुसूची में वर्णित भारतीय भाषाओं के साथ–साथ उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय लोक भाषाओं एवं बोलियों के विकास और उसके संवर्धन हेतु भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी का स्वरूप निम्नवत् होगाः–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः– (1) इस अकादमी का नाम "उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी" होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

मुख्यालय 2. अकादमी का मुख्यालय देहरादून होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर राज्य की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन किया जा सकेगा। समुचित व्यवस्था होने तक अकादमी के कार्य भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संपादित् किया जाएगा।

अकादमी का कार्य एवं कार्यक्षेत्र 3. उत्तराखण्ड की प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएँ है– कुमाउँनी, गढ़वाली, जौनसारी एवं रंग। कुमाउँनी भाषा की उपबोलिया कुमय्याँ, सोर्याली, अस्कोटी, सीराली, खसपर्जिया, चौगर्खिया, गंगोली, पछाई, दनपुरिया, रौ–चौभैंसी, जोहारी है। इसी प्रकार गढ़वाली भाषा की उपबोलियाँ श्रीनगरी, बधाणी, दसौल्या, माझ कुमैया, नागपुरिया, सलाणी, राठी, टिहरयाली है, टिहरी जिले कि कुछ उपबोलियां है–टकनौरी–बाड़ाहटी, रमोल्या, जौनपुरी, रवाल्टा, बडियारगड्डी, अथवा जिस भाषा में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाय।

उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी उक्त लोक भाषाओं एवं उपबोलियों के संवर्धन एवं विकास के लिए कार्य करेगी।

अकादमी का कार्यक्षेत्र उत्तराखण्ड का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा।

अकादमी का संगठन एवं उद्देश्य 4.

(क) उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी, उत्तराखण्ड शासन की कार्यदायी संस्था के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में कार्य करेगी और लोक भाषा सम्बन्धी योजनाओं एवं क्रिया–कलापों का संचालन करेगी।

(ख) इस अकादमी के अन्तर्गत क्षेत्रीय एवं आँचलिक भाषा व बोलियों के साहित्य एवं कृत्यों को सुरक्षित करना व इन भाषाओं के साहित्यकारो को सम्मानित, समादृत और पुरस्कृत करना तथा गोष्ठियां, सम्मेलन व समारोह आयोजित करना।

(ग) अकादमी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक निकाय होगी, उसकी स्थाई सील होगी और उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी के नाम से संस्थान का संचालन किया जाएगा या संस्थान चल सकता है। अकादमी के सभी कार्यकलाप सोसाइटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम 1860 के प्राविधानों के अधीन रहते हुए शासन द्वारा स्थापित नियमों/विनियमों के अनुसार किए जायेगे।

(घ) अकादमी किसी भी राजनैतिक अथवा साम्प्रदायिक संगठन से सम्बद्ध नहीं रहेगी और न ही किसी असामाजिक अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेगी।

(ड़) राज्य के साहित्यकारों के दुर्लभ साहित्य, अप्राप्त साहित्य, उत्कृष्ट और उपयोगी साहित्य, शोध ग्रन्थों का पुनः प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही अप्रकाशित पाण्डुलिपियों का प्रकाशन करना अथवा प्रकाशन में सहायता प्रदान करेगा।

(च) क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के साहित्य का प्रकाशन एवं प्रोत्साहन का कार्य किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय बोली के शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार एवं संरक्षण की व्यवस्था करना तथा उनके साहित्य को प्रोत्साहन देने का कार्य करना।

(छ) दुर्लभ पुस्तकों को निःशुल्क, दान अथवा मूल्य देकर प्राप्त करना, शोधार्थियों को दुर्लभ पुस्तकों की छाया प्रतियां मूल्य लेकर उपलब्ध कराना एवं दुर्लभ पुस्तकों की पुनः प्रकाशन की व्यवस्था करना।

(ज) प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना तथा स्मृति चिह्न, पुस्तकें आदि प्रदान करना, जो शासन या शासन की अनुमति से स्थापित विनियमों के अनुसार किये जाएगें।

(झ) राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत स्वयं सेवी लोक भाषा, साहित्य, सांस्कृतिक एवं संस्थाओं से वैचारिक आदान–प्रदान करना तथा उनकी लोक भाषा साहित्यक एवं सास्कृतिक योजनाओं के अनुसार सहायता करना। अनुदान/प्रकाशन में अनुदान या विपणन में सहायता प्रदान करना।

(ञ) साहित्यकारों को स्थापित पुरस्कार नियमावली के प्राविधान के अन्तर्गत सम्मानित और पुरस्कृत करना।

(ट) लोक भाषा एवं बोली का मानकीकरण करना।

(ठ) लोक भाषा एवं बोली के शब्दकोशों का निर्माण करना।

(ढ) लोक भाषा में रचित साहित्य का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की व्यवस्था करना।

(ड) लोक भाषा एवं बोली के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना तथा लोक भाषा के बुजुर्गों एवं जरूरतमंद लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ण) लोक भाषाओं के अध्येताओं को उच्च अध्ययन के लिए अकादमी द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट समय के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस नियमों के अधीन प्रकाशित सामग्री की बिक्री की व्यवस्था करना।

(प) अकादमी अथवा उसकी किसी सम्पत्ति का उपयोग राजनैतिक अथवा राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा।

(फ) अकादमी के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसके हितों की पूर्ति हेतु केन्द्र अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्तियों से आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति, अनुदान, संविदा, अनुज्ञप्तियों, अधिकार, रियायत, विशेषाधिकार या उन्मुक्तियॉ प्राप्त करना, जिन्हें अकादमी द्वारा वांछनीय समझा जाये, प्राप्त करने के केन्द्र अथवा राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के साथ व्यवस्था करना और किसी भी ऐसी व्यवस्था का प्रयोग तथा अनुपालन करना, इस संबंध में शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

(ब) किसी भी प्रकार के दान आदि को स्वीकार करना तथा ऐसे दानों को लेखाबद्ध करना तथा शासन के तत्काल संज्ञान में लाना।

(भ) कोई ऐसे अन्य कार्य करना जो अकादमी के उपरोक्त सभी उद्देश्यों या किसी उद्देश्य की पूर्ति या उनसे सम्बन्धित प्रासंगिक कार्यों के लिए उपयोगी तथा आवश्यक हों।

(म) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिन कार्यों के लिए नियम/विनियम/प्रक्रियायें स्थापित नहीं हैं, उसके लिए नियम/विनियमों की स्थापना शासन स्तर पर कराना।

समितियों का गठन 5. उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी के लिए साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति गठित की जाएगी। साधारण सभा निम्नवत् प्रस्तावित है:–

(क)	अध्यक्ष	–	मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (पदेन)
(ख)	कार्यकारी अध्यक्ष	–	मा० भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड (पदेन)
(ग)	उपाध्यक्ष	–	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत महानुभाव
(घ)	सदस्य	–	प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा, उत्तराखण्ड शासन
(ड़)	सदस्य	–	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
(च)	सदस्य	–	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
(छ)	सदस्य	–	राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तराखण्ड के किसी एक (1) विश्वविद्यालय के कुलपति
(ज)	सदस्य	–	राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के भाषाविद् छः (6) सदस्य, जिन्होंने लोक भाषा में विशिष्ट कार्य किया हो या लोक भाषा व बोली का विशिष्ट ज्ञान हो
(झ)	सदस्य	–	निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून
(ञ)	सदस्य	–	वित्त अधिकारी, लोक भाषा व बोली अकादमी
(ट)	सदस्य सचिव	–	निदेशक, लोक भाषा व बोली अकादमी

उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी हेतु एक कार्यकारिणी समिति निम्नवत् प्रस्तावित है:–

(क)	अध्यक्ष	–	प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा, उत्तराखण्ड शासन
(ख)	सदस्य	–	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
(ग)	सदस्य	–	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
(घ)	सदस्य	–	राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के भाषाविद् तीन (3) सदस्य, जिन्होंने लोक भाषा में विशिष्ट कार्य किया हो या लोक भाषा व बोली का विशिष्ट ज्ञान हो
(ड़)	सदस्य	–	निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून
(च)	सदस्य	–	वित्त अधिकारी, लोक भाषा व बोली अकादमी
(छ)	सदस्य सचिव	–	निदेशक, लोक भाषा व बोली अकादमी

6. राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी की स्थापना के लिए संसाधनों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी निवेश प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार राज्य में उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी की स्थापना की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा वित्तीय उपाशय का प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(उषा शुक्ला)
सचिव।

संख्या– (1)/xxxix/2016-01(सा0)/2016, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि– निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूडकी (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(उषा शुक्ला)
सचिव

संख्या–407(1)/xxxix/2016-01(सा0)/2016, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3– मुख्य निजी सचिव, मा0 भाषा मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5– सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– महालेखाकार, ऑडिट, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
9– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10– निबन्धक, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तराखण्ड, बंगाली मोहल्ला, देहरादून।
11– सचिव, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी एवं निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, पंजाबी अकादमी एवं उर्दू अकादमी।
12– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(उषा शुक्ला)
सचिव

संलग्नक-06

क्रम संख्या-54 (क)

पंजीकरण संख्या-यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2018-2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 12 अप्रैल, 2018 ई०

चैत्र 22, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 182 / XXXVI(3) / 2018 / 21(1) / 2018

देहरादून, 12 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड भाषा संस्थान विधेयक, 2018' पर दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 16 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2018)

(उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में अधिनियमित)

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की स्थापना तथा सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों एवं अकादमियों की व्यवस्था के लिये—

अधिनियम

अध्याय—1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—
(क) "संस्थान" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अभिप्रेत है;
(ख) "अधिसूचना" से उत्तराखण्ड सरकार के गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
(ग) "साधारण सभा" से संस्थान की साधारण सभा अभिप्रेत है;
(घ) "समिति" से भाषा संस्थान प्रबंध कार्यकारिणी की समिति अभिप्रेत है;
(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(च) "विहित" से अधिनियम के अधीन विहित नियम एवं प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं;
(छ) "अकादमी" से उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी एवं उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी अभिप्रेत है;
(ज) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
(झ) "गैर सरकारी सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी संगठन / संस्था का प्रतिनिधि हो किन्तु सरकारी सदस्य न हो;
(ञ) "अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष" से उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अभिप्रेत हैं;
(ट) "निदेशक" से भाषा संस्थान के निदेशक अभिप्रेत है;
(ठ) "उप निदेशक" से उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी एवं उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी के उप निदेशक अभिप्रेत है;
(ड) "सदस्य" से साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्य अभिप्रेत है;
(ढ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

अध्याय—2

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की स्थापना

भाषा संस्थान की स्थापना

3. इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भाषा संस्थान का गठन करेगी, जो उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के नाम से जाना जायेगा, जिसका मुख्यालय देहरादून में होगा।

भाषा संस्थान की समिति संरचना

4. उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की साधारण सभा की संरचना निम्नानुसार होगी:–

(क) मा0 मुख्यमंत्री	अध्यक्ष (पदेन);
(ख) मा0 भाषा मंत्री	कार्यकारी अध्यक्ष (पदेन),
(ग) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति	उपाध्यक्ष;
(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन);
(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन);
(च) प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन);
(छ) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन);
(ज) राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तराखण्ड के किन्हीं दो विश्वविद्यालय के कुलपति	सदस्य ;
(झ) राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के ऐसे 12 भाषाविद् एवं संबंधित विषयों के साहित्यकार, जैसा विहित किया जाय,	सदस्य ;
(ञ) सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी	सदस्य (पदेन);
(ट) वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान	सदस्य (पदेन);
(ठ) निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान	सदस्य सचिव (पदेन)।

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की संरचना

5. प्रबंध कार्यकारिणी समिति की संरचना निम्नवत होगी:–

(1)अध्यक्ष–	मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड;
(2)कार्यकारी अध्यक्ष–	प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन;
(3)सदस्य–	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन;
(4)सदस्य–	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन;
(5)सदस्य–	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन;
(6)सदस्य–	सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी;
(7)सदस्य–	उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित संस्थान में साहित्यकारों में से तीन (03);
(8)सदस्य–	वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी।

अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के कर्तव्य एवं शक्तियां

6. (क) प्रबंध कार्यकारिणी समिति सरकार को इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न समस्त प्रकरणों पर परामर्श देगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगी, जो विहित किये जायें;

(ख) सामान्यतः या किसी प्रयोजन के लिये संस्थान के कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु एक या अधिक उप समितियों का गठन करना;

(ग) अपने कार्य संचालन और प्रशासन के लिये समय–समय पर नियम बनाना, इनका अनुपालन करना, उनमें परिवर्तन करना;

(घ) संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यक्रम एवं योजनाओं को पारित करना;

(ङ) संस्थान के प्रयोजन के लिये किसी सम्पत्ति को क्रय करना (विनिमय करना), किराये पर लेना अथवा अर्जित करना या उसका निस्तारण करना अथवा सम्पत्ति को दान स्वरूप प्राप्त करना तथा कार्योपरान्त इसकी सूचना राज्य सरकार को देना।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

7\. (क) संस्थान के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य अपने नामित होने की तिथि से 03 वर्ष के लिये पद धारण करेगा।
परन्तु जो व्यक्ति किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होगा उस संगठन द्वारा उसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिये जाने पर वह सदस्य नहीं रहेगा;
(ख) सदस्य, संस्थान की सदस्यता से हटने की स्थिति में राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा;
(ग) संस्थान का कोई भी सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाए, विकृत मस्तिष्क का हो जाये, अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया जाय अथवा नैतिक पतन संबंधी दण्डापराध के लिये न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ हो।

सदस्यों की आकस्मिक रिक्ति को भरा जाना

8\. किसी रिक्ति में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति पूर्ववर्ती सदस्य के अवशेष कार्यकाल तक पद धारण करेगा।

बैठक, निर्णय एवं गणपूर्ति

9\. (क) साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक त्रैमासिक होगी, परन्तु यदि आवश्यक समझा जाये तो कभी भी बैठक आहूत की जा सकती है;
(ख) बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/2 होगी, जिसमें संस्थान का वार्षिक बजट, कार्यक्रम एवं योजनाएं प्रस्तुत और पारित की जाएंगी;
(ग) संस्थान की किसी बैठक में सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। मतों की समानता की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा;
(घ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो।

भाषा संस्थान के अंतर्गत अकादमियों की स्थापना

10\. राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से राज्य में बोली जाने वाली विभिन्न समुदाय की भाषा एवं बोलियों के विकास एवं संवर्धन हेतु संस्थान के अंतर्गत निम्नलिखित अकादमियाँ होंगी, जो संस्थान की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी :-
(क) उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी;
(ख) उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी;
(ग) उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी;
(घ) उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी।
उपर्युक्त अकादमियों का संचालन धारा 11 के प्रावधानों के अधीन होगा।

संस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारी गण

11\. (क) साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय एवं कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये संस्थान में एक निदेशक की नियुक्ति कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा की जायेगी, जो कि अपर सचिव स्तर से न्यून न हो;
(ख) निदेशक, संस्थान के प्रशासन का सामान्य नियंत्रण करेगा। निदेशक के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा;
(ग) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपर्युक्त प्रत्येक अकादमी में उप निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। उप निदेशक, निदेशक के अधीन संबंधित

अकादमियों का संचालन करेगा। उप निदेशक के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण भी इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा; इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारा 10 में उल्लिखित अकादमियों में उप निदेशक के पद राज्य सरकार पृथक रूप से कार्य, दायित्व एवं आवश्यकता के आधार पर सृजित करेगी।

(घ) राज्य सरकार संस्थान के कार्यों के समुचित निस्तारण के लिये ऐसी संख्या में ऐसे वेतनमान पर पद सृजित करेगी जैसा समय–समय पर विहित किया जाय ;

(ङ) संस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं उनकी सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

संस्थान की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

12. संस्थान का कोई कार्य इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि–

(क) संस्थान के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है;

(ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है, या

(ग) ऐसी कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है, जिसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है।

संस्थान के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

13. संस्थान के सभी विनिश्चय और आदेश निदेशक द्वारा अथवा इस निमित्त निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे। निदेशक आवश्यकतानुरूप अपने कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रतिनिधायन भी कर सकेगा।

अध्याय–3

संस्थान की शक्तियां, उद्देश्य और कार्य का आवंटन

संस्थान की शक्तियां और उद्देश्य

14. (क) संस्थान कार्यदायी संस्था के रूप में सम्पूर्ण राज्य में कार्य करेगा और भाषा संबंधी योजनाओं एवं क्रियाकलापों का संचालन करेगा एवं आवश्यकतानुसार राज्य के हित में भारत वर्ष के विभिन्न प्रदेशों और संघीय राज्यों में भी भाषा संबंधी कार्य करेगा;

(ख) संस्थान के विस्तृत उद्देश्यों एवं कार्यों का निर्धारण इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं विनियमों द्वारा किया जायेगा;

(ग) संस्थान ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसी समय–समय पर विहित की जायें।

अध्याय–4

वित्त एवं लेखा

लेखों का रख–रखाव

15. (क) राज्य सरकार द्वारा वित्त एवं लेखा सेवा के एक ऐसे वरिष्ठ लेखा अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो संस्थान के समुचित लेखा तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों के सम्बन्ध में उत्तरदायी होगा। वह लेखे का वार्षिक विवरण एवं बैलेंस शीट तैयार कराएगा तथा अन्य वित्त संबंधी कार्य करेगा;

(ख) संस्थान के लेखों की सम्परीक्षा राज्य सरकार की स्वीकृति से नियुक्त किये गये लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष की जायेगी।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

वार्षिक रिपोर्ट

16. संस्थान प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा। वार्षिक रिपोर्ट को प्रतिवर्ष विधान सभा पटल पर रखा जाएगा।

निरीक्षण

17. यह समाधान करने के लिये कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्राविधानों का अनुपालन किया जा रहा है, निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी संस्थान की किसी भी अकादमी/शाखा का निरीक्षण कर सकेंगे।

नियम बनाने की शक्ति

18. (1) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से साधारण सभा एवं प्रबंधकार्यकारिणी इस,अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बना सकेगी या उन्हें संशोधित कर सकेंगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियम इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।
(3) इस धारा के अधीन बनाये गये नियम शीघ्रातिशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगें।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

19. संस्थान अथवा उसके किसी अकादमी के किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,

प्रमुख सचिव।

No. 182/XXXVI(3)/2018/21(1)/2018

Dated Dehradun, April 12, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**The Uttarakhand Language Institutions Bill, 2018**' (Adhiniyam Sankhya 16 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 11 April, 2018.

THE UTTARAKHAND LANGUAGE INSTITUTIONS ACT, 2018

(UTTARAKHAND ACT NO. 16 OF 2018)

[Enacted by Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-Ninth year of the Republic of India]

AN

ACT

to establish the Uttarakhand Language Institution and to provide the Academies and the connected and incidental matters thereof;

CHAPTER-1
Preliminary

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Language Institutions Act , 2018.

(2) It shall extend to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires -

(a) **"Institution"** means the Uttarakhand Language Institution constituted under section 3 of the Act;

(b) **"Notification"** means the Notification published in the Gazette of Uttarakhand Government ;

(c) **"General body"** means the General body of the Institution;

(d) **"Committee"** means the Managing Executive Committee of the Language Institution;

(e) **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;

(f) **"Prescribed"** means the prescribed rules and procedures under the Act;

(g) **"Academy"** means the Uttarakhand Hindi Academy, Uttarakhand Urdu Academy, Uttarakhand Punjabi Academy and Uttarakhand Regional Language and Boli (dialect)Academy.

(h) **"State"** means the State of Uttarakhand;

(i) "Non-official member" means such person who is representative of any organization/institution but not Government Member;

(j) **"Chairman, Executive Chairman and Vice-chairman"** means the Chairman, Executive Chairman and Vice-chairman of the Uttarakhand Language Institution;

(k) **"Director"** means the Director of the Language Institution;

(l) **"Deputy Director"** means the Deputy Director of the Uttarakhand Hindi Academy, Uttarakhand Urdu Academy, Uttarakhand Punjabi Academy and Uttarakhand Regional Language and Boli (dialect)Academy;

(m) **"Member"** means the members of the General body and Managing Executive Committee;

(n) **"Year"** means the financial year;

CHAPTER-II

Establishment of the Uttarakhand Language Institution

Establishment of the Language Institution

3. The State Government, as soon as may be after the commencement of this Act, shall constitute a Language Institution for the fulfillment of the purposes of this Act, which shall be known as the Uttarakhand Language Institution, whose head-quarter shall be in Dehradun.

Committee Composition of the Language Institution

4. The General body of the Uttarakhand Language Institution shall be constituted as follows,-

(a) Hon'ble Chief Minister- Chairman (ex-officio);

(b) Hon'ble Language Minister- Executive Chairman (Ex-officio);

(c) An Eminent person nominated by the State Government- Vice-chairman;

(d) Principal Secretary/ Secretary, Finance, Government of Uttarakhand- Member (ex-officio);

(e) Principal Secretary/ Secretary, Higher Education, Government of Uttarakhand- Member (ex-officio);

(f) Principal Secretary/ Secretary, Language, Government of Uttarakhand- Member (ex-officio);

(b) The quorum of meeting shall be half of total number of members in which the annual budget, the programs and plannings of the Institution shall be presented and passed.

(c) The determination of all matters in any meeting of the institution shall be decided by the majority of the members present and voting. In case of equality of the vote, the vote of presiding member shall be casting vote;

(d) In absence of Chairman, the Executive Chairman, in absence of Executive Chairman, the Vice-chairman and in absence of Vice-chairman, such member who is nominated by the Chairman, shall preside the meeting.

Establishment of Academies under the Language Institution

10. For development and promotion of language and dialect of various communities in the State, the following Academies shall be constituted under the Institution with the prior approval of the State Government, which shall be functioned as branches of the Institution-

(a) The Uttarakhand Hindi Academy;

(b) The Uttarakhand Urdu Academy;

(c) The Uttarakhand Punjabi Academy;

(d) The Uttrakhand Regional Language and Boli (dialect) Academy.

The functions of the above said Academies shall be under the provisions of section 11.

Officer and Staff of the Institution

11. (a) A Director for the Institution shall be appointed by the Personnel Department, Government of Uttarakhand, for the implementation of functions and decision taken by the General Body and managing committee, who is not below the rank of Additional secretary;

(b) The Director shall control the general administration of Institution. The determination of functions and duties of the Director shall be specified by the rules or regulations made under this Act.

(c) For the purposes of this Act, a Deputy Director shall be appointed by the State Government in every a foresaid Academies. The Deputy Director shall operate the concerning academies under the Director. The determination of functions and duties of the Deputy

Director shall also be specified by the rules or regulations made under this Act;

For the purposes of this Act, the post of Deputy Director in academies mentioned in section 10 shall be created by the State Government separately on the basis of functions, duties and necessity.

(d) For the appropriate disposal of the functions of the institution, the State Government shall create such number of posts on such pay scale as prescribed from time to time;

(e) The pay, allowances and service conditions of the officers and employees of the Institution shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time.

Proceedings of the institution not to be invalidated

12. No work or proceeding of the Institution shall be deemed to be invalid merely on the ground of –

(a) any vacancy or defect in the constitution of the Institution;

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as the Chairman or other Member thereof; or

(c) any defect or irregularity in such proceeding not affecting the substance.

Authentication of the orders of the Institution

13. All the decisions and orders of the Institution shall be authenticated by the signature of the Director or any other officer authorised by the Director for this purpose. The Director may also delegate his duties and powers as per necessity.

CHAPTER-III

Powers, objectives and allocation of work of the Institution

Powers and objectives of the Institution

14. (a) The Institution shall act in whole of State as a nodal institution and shall conduct the language relating planning and implementation and shall also conduct language related works in the various States and Union Territories of the India in the interest of the State as per necessity;

(b) The determination of detailed objectives and functions of the institutions shall be determined by the rules and regulations made under this Act;

(g) Principal Secretary/ Secretary, Planning,

Government of Uttarakhand- Member (ex-officio).

(h) Vice-chancellor of any two Universities nominated by the State Government- Members;

(i) such 12 linguist and litterateur of relating subjects of the Country and State nominated by the State Government, as may be prescribed- Members;

(j) Secretary, Uttarakhand Sanskrit Academy- Member (ex-officio);

(k) Senior Finance Officer, Uttarakhand Language Institution- Member (ex-officio);

(l) Director, Uttarakhand Languge Institution- Member-secretary (ex-officio).

Composition of Managing Executive Committee

5. The Managing Executive Committee shall be constituted as follows-

(1) Chairman- Chief Minister/Language Minister, Uttarakhand ;

(2) Executive Chairman- Principal Secretary/ Secretary, Language Department, Government of Uttarakhand;

(3) Member- Principal Secretary/ Secretary, Finance, Government of Uttarakhand;

(4) Member- Principal Secretary/ Secretary, Higher Education, Government of Uttarakhand;

(5) Member- Principal Secretary/ Secretary, Planning, Government of Uttarakhand;

(6) Member – Secretary, Uttarakhand Sanskrit Academy;

(7) Member- Three (03) litterateurs of institutions nominated by the Government of Uttarakhand;

(8) Member- Senior Account officer, Uttarakhand Hindi Academy.

Duties and powers of the Chairman, Executive Chairman, Vice-chairman and Members

6. (a) The Managing Committee shall advise the

State Government on all matters arise under this Act

and shall exercise such other powers and perform the duties, as may be prescribed;

(b) To constitute one or more sub committees, generally or for any purposes, for the implementation of the business of the institution;

(c) To make rules from time to time for their conduct of business and administration, their compliance and modification;

(d) To pass programs and plannings according to the objectives of the Institute.

(e) To purchase any property, to exchange, to take on rent or to acquire or their disposal or to get property as a gift and to intimate the State Government after these functions for the purpose of the Institution.

Term of office and service conditions of the Members

7. (a) Every Member of the General Body and Managing Committee in addition to ex-officio member of the institution shall hold the office for three years from the date of his nomination;

Provided that any person who is member as a representative of any organization shall not remain member on cessation of his representation by such organization.

(b) The member may resign his office any time by writing under his hand addressed to the state Government in case of withdrawal from the membership of the Institution.

(c) Any member of the Institution, shall not remain member if he dies, becomes of unsound mind or declared undischarged insolvent or convicted by the court for an offence related to moral turpitude.

Filling the casual vacancies of the Members

8. The person nominated by the State Government in any vacancy shall hold the office for the remaining tenure of the predecessor member.

Meeting, decision and quorum

9. (a) The meeting of General Body and Management committee shall be held quarterly but if deemed necessary than the meeting may be convened any time.

(c) The institution shall perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed from time to time.

CHAPTER-IV
Finance and Account

Maintenance of Accounts

15. (a) One such Senior Account Officer shall be appointed from the Finance and Accounts services by the State Government who shall be responsible for appropriate accounts and other relating record of the institution. He shall also prepare annual statement and balance sheet and conduct other financial work of accounts.

(b) The audit of the account of the Institution shall be done annually by the Auditors appointed with the permission of the State Government.

CHAPTER-V
Miscellaneous

Annual Report

16. The Institution shall prepare an annual report every year, in such form and in such manner as may be prescribed, in which correct and full details of affairs of previous year shall be given. The annual report shall be laid before the house of the State Legislative Assembly every year.

Inspection

17. The Director or any officer authorized by him may inspect any Academy/branches of the Institution to satisfied that this Act and the provisions of rules and regulations made under it are complied with.

Power to make rules

18. (1) The General Body and Management Committee may make rules for the implementation of the object of this Act and may amend them with the prior approval of the State Government.

(2) The rules made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act.

(3) The rules made under this section shall be laid before the Legislative Assembly as soon as possible.

Protection of action taken in good faith

19. No suit, prosecution or other proceeding may lie against Institution or any person of any Academy for any act which is in good faith done or intended to be done under this Act.

By Order,

MEENA TIWARI,
Principal Secretary.

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य में भाषा संस्थान कार्यदायी संस्था के रूप में सम्पूर्ण राज्य में कार्य करेगा और भाषा संबंधी योजनाओं एवं क्रियाकलापों के संचालन आदि हेतु उत्तराखण्ड भाषा संस्थान को विधि द्वारा स्थापित संस्था के रूप में स्थापित करने के लिये उत्तराखण्ड भाषा संस्थान विधेयक प्रख्यापित किये जाने का प्रस्ताव है।

विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 विधायी/225-2018-100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।